कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61 अंक : 10 पृष्ठ : 52 अगस्त 2015 मूल्यः ₹10

वित्तीय समावेशन की ओर

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

योजना की प्रकृति क्या है?

यह एक वर्ष की टर्म जीवन बीमा कवर योजना है, जो वर्ष–दर–वर्ष नवीनीकरणीय है, और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत लाभ और देय प्रीमियम क्या होगा?

किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये देय हैं। प्रीमियम राशि 330 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष है।

प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएग?

नामांकन में दी गई सहमति के अनुसार यह प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक खाते में ''ऑटो डेबिट'' सुविधा के अनुसार एक किश्त में काट ली जाएगी। योजना के अनुभव की समीक्षा के दौरान पुनः जांच में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन के अधीन सदस्य योजना के लागू रहने तक प्रतिवर्ष ''ऑटो डेबिट'' का एकबारगी अधिदेश भी दे सकते हैं।

योजना को प्रस्तावित/संचालित कौन करेगा?

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रस्तुत/उनके द्वारा प्रशासित है तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियां आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर समान शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती हैं। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी से सम्बद्ध होकर अपने ग्राहकों हेतु यह योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सदस्यता के लिए कौन पात्र होगा?

सहभागी बैंकों के सभी बैंक खाताधारक (एकल/संयुक्त), जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इसमें शामिल होने के लिए पात्र होंगे। किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हों, तो ऐसे मामलों में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

नामांकन की अवधि तथा विधि क्या है?

प्रारंभ में 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, सदस्यों को 31 मई, 2015 तक योजना में अपना नामांकन करवाना था तथा 31 मई, 2015 तक, स्वतः नामे की सहमति देनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2015 कर दिया गया है। इस तिथि के पश्चात् कवर प्राप्त करने के लिए नामांकन आगामी तिथि से पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संभव होगा।

जो सदस्य प्रथम वर्ष के पश्चात सदस्यता जारी रखना चाहते हैं, उन्हें बाद के वर्षों के लिए प्रत्येक 31 मई से पूर्व अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी। इस तिथि के पश्चात् लंबित नवीकरण पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है।

क्या वे पात्र व्यक्ति जोकि प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाए, बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकते हैं?

जी हां, ऑटो डेबिट से प्रीमियम भुगतान कर निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व–प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर संभावित कवर प्राप्त कर सकते हैं। नए पात्र भविष्य के वर्षों में इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं।

क्या जो व्यक्ति योजना छोड़ जाते हैं वे फिर से जुड़ सकते हैं?

इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर तथा निर्धारित प्रोफॉर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकता है।

योजना के लिए मास्टर पॉलिसीधारक कौन होगा?

सहभागी बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श के पश्चात, जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

सदस्य के जीवन के संबंध में बीमा कब समाप्त होगा?

सदस्य के जीवन का बीमा निम्नलिखित घटनाओं मे से किसी भी एक घटना के घटने पर समाप्त होगा–

क) 55 साल की उम्र (निकटतम जन्मदिन) होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि (प्रवेश हालांकि 50 वर्ष की आयु पर संभव नहीं होगा) तक वार्षिक नवीनीकरण हो।

ख) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त राशि न होने पर।

ग) यदि सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित होगा तथा प्रीमियम जब्त किया जा सकता है।

क्या सदस्य को यह कवर, किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त कवर के अतिरिक्त होगा?

जी, हां।

पीएमजेजेबीवाई में सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते पात्र हैं?

संस्थागत खाताधारकों के अलावा सभी बैंक खाताधारक पीएमएजेजेबीवाई योजना में सदस्यता के लिए पात्र हैं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 52 ★ श्रावण–भाद्रपद 1937★अगस्त 2015

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना

संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 011–24365609, फैक्स : 24365610
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना

सज्जा
आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये
वार्षिक शुल्क : 100 रुपये
द्विवार्षिक : 180 रुपये
त्रिवार्षिक : 250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
सार्क देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

मुद्रा बैंक : अनौपचारिक क्षेत्र की आकांक्षाओं का पूरक — गजेन्द्र सिंह मधुसूदन — 5

किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन का सरल जरिया — सुधांशु सिंह — 10

वित्तीय समावेशन की नई शुरुआत जन-धन योजना — गौरव कुमार — 13

डिजिटल इंडिया : परिकल्पना और चुनौतियां — सुनीता चौधरी — 17

वित्तीय समावेशन का नया मंत्र जैम त्रे: — डॉ. अश्विनी महाजन — 21

वित्तीय समावेशन के लिए जागरुकता जरूरी — सौरभ कुमार — 23

वित्तीय समावेशन की राह की मुश्किलें — सतीश सिंह — 28

गांवों के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका — डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह, डॉ. लोकेन्द्र सिंह — 32

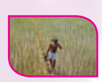
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से समृद्ध होंगे किसान — इंद्रेश चौहान — 38

वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की सहभागिता — सबिता कुमारी — 41

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना — धनजी चौरसिया — 46

खुले में शौच से मुक्त हुआ जरैला गांव — रामचरण धाकड़ — 49

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24365609, फैक्स : 24365610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

हमारे देश में वित्तीय समावेशन को प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे– पेंशन, बीमा एवं पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। अन्य शब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, वहीं इन समस्याओं के समाधान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी अहम भूमिका है। अपनी इस भूमिका को बैंक सशक्त तरीके से तभी निभा सकते हैं जब वे अपनी सेवाएं समाज के उस बड़े वर्ग तक पहुंचाएं जो अब तक इनसे वंचित रहा है।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है। बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई है तथा बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, पर चिंता की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के एक बड़े वर्ग विशेष रूप से कम आय वाले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची हैं।

इसी के मद्देनजर सरकार ने जन–धन योजना के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की ताकि वंचितों को वित्तीय सेवा तंत्र से जोड़ा जा सके। यह एक कारगर और सराहनीय पहल है। देश में सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और देश की घरेलू बचत का राष्ट्रीय स्तर पर लाभ लेने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2014 को इस राष्ट्रव्यापी जन–धन योजना की शुरुआत की गई। पहले चरण में करीब 7.15 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हालांकि 8 जुलाई, 2015 तक लक्ष्य कहीं आगे बढ़कर 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमें से 10.1 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। उल्लेखनीय हैं कि जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 51 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं जिसमें करीब 61 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं के हैं। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को फायदा पहुंचा है।

भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। इसी के मद्देनजर वित्तमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा – ''दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तो उसके पास कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं। ''वित्तमंत्री की इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री जन–धन योजना के सहारे जून 2015 से वित्तीय समावेशन एक नए दौर में प्रवेश कर गया। सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाएं–प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ये तीनों सामाजिक योजनाएं गरीबों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अनूठी योजनाएं देश के लाखों गरीब लोगों को सस्ती दरों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगी। तमाम उपलब्धियों के बीच यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि जन–धन योजना के तहत खोले गए खातों में जहां एक ओर 20 हजार करोड़ रुपये जमा हैं वहीं आधे से अधिक खातों में शून्य बैलेंस का होना भी चिंता का विषय है। ऐसे खातों की वजह से बैंकों के सामने आने वाले समय में परिचालन खर्च में हुए इजाफे की प्रतिपूर्ति और मानव संसाधन की किल्लत जैसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

देश का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में लगा है। सरकार वित्तीय समावेशन के जरिए किसानों को भी लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर है। किसान क्रेडिट कार्ड इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले किसान खेत की जुताई–बुआई के ऋण के लिए पूरी तरह गांवों के साहूकारों पर निर्भर थे। ऐसी स्थिति में लिए गए ऋण से कई गुना अधिक ब्याज चुकता करते थे। एक बार साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे तो फिर उसकी भरपाई करने में पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती थी। कई बार तो पीढ़ी–दर–पीढ़ी ब्याज का सिलसिला चलता रहता था। किसानों को इस भंवर से निकालने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। धीरे–धीरे इस कार्ड की बदौलत किसानों की स्थिति सुधर रही है और वे स्वावलंबी बन रहे हैं। जब जरूरत होती है वे बैंक से ऋण लेते हैं और नियमित रूप से किस्त का भुगतान कर खेती कर रहे हैं।

मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय स्वावलंबन प्रदान करने की सरकार की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना है। इसके जरिए वित्तीय समावेशन को एक नए मुकाम तक ले जाने की तैयारी है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म कारोबारियों और उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था में इन कारोबारियों की हिस्सेदारी और रोजगार पैदा करने की क्षमता को बढ़ाना है। उम्मीद है कि मुद्रा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नए मुकाम पर खड़ा होने में समक्ष बनाएगा।

संक्षेप में, वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हम वित्तीय समावेशन के बारे में आम जन को जागरूक करें। साथ ही संबंधित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा भी मुहैया कराएं। इसमें मीडिया को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। साथ ही वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान कर इस दिशा में लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाने की जरूरत है। हमारी शुरुआत बच्चों से ही होनी चाहिए चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा मुहैया कराई जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं।

मुद्रा बैंक : अनौपचारिक क्षेत्र की आकांक्षाओं का पूरक

—गजेन्द्र सिंह मधुसूदन

मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय स्वालम्बन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है जो साधनहीन समूहों के लिए विकास का वरदान सिद्ध होगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की सघनता और व्यापकता अधिक है। व्यावसायिक बैंक छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मुद्रा बैंक अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नए मुकाम पर खड़ा होने में सक्षम बनाएगा।

वित्त विकासीय प्रयोजन की पहली मौलिक आवश्यकता है क्योंकि विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण वित्तीय सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वित्त की सर्वांगीण सुलभता ही विकास को त्वरित और अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाती है जिसमें संस्थागत वित्त आत्मनिर्भरता, उद्यमवृत्ति और स्वरोजगार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है लेकिन संस्थागत वित्त की सर्वांगीण सुलभता में हमारा अर्थतंत्र अभी भी विकास की किशोरावस्था के दौर से गुजर रहा है और वित्तीय व्यापकता, वित्तीय साक्षरता व समावेशीपन के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की वित्त व्यवस्था पहुंच, पर्याप्तता और पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित है जिससे वित्तीय समावेशन की तमाम कोशिशें दम तोड़ती दिखने लगी हैं। ऐसा भी नहीं है कि देश में संस्थागत वित्त के लिए बैंकिंग व्यवस्था या उनके द्वारा सृजित सेवाओं को आम जन तक ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया है बल्कि यहां तो बैंकिंग प्रणाली का विकास ही मूलतः व्यावसायिक क्षेत्रक उद्योगों एवं व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में हुआ है।

बैंकिंग व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का और फिर भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बावजूद जब यह महसूस हुआ कि आजादी के बाद के आरम्भिक दो दशकों तक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र—कृषि एवं सहायक क्रियाएं, बैंकिंग सहायता पाने से करीब वंचित ही रहा है तो एक कठोर निर्णय के तहत देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा एक दशक बाद पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाराशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थी जिससे बैंकिंग व्यवस्था को सतही व जनहितैषी बनाने के साथ सरकार की वित्तीय सुविधाओं को जन—सामान्य तक पहुंचाना आसान हो गया।

शुरुआती दौर में इन बैंकों की भूमिका विकास की सघनता में कमतर ही रही है और तत्कालीन सर्वेक्षणों व विश्लेषणों से यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीयकरण बैंकिंग व्यवस्था, प्रसिद्धि, पहुंच और प्रभावशाली व्यक्तियों, समूहों और उद्योगों तक अपने को सीमित किए हुए है। कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योग और पिछड़े समूह इसकी पहुंच से दूर हैं। इसके समाधान हेतु जनपद स्तर पर 1969 में 'अग्रणी बैंक योजना' आरम्भ की गई जिसके तहत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को 'लीड बैंक' घोषित कर दिया जाता है जिसका जिला—स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु जिले में सक्रिय अन्य सभी बैंकों का सहयोग लेने व निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने

में सभी वित्तीय संस्थाओं का समन्वय कायम करने का प्रयास रहता है। इसी के साथ निचले स्तर पर वित्तीय सघनता विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गयी जो वर्तमान में सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत हैं। इसकी ग्रामीण शाखाएं कुल ग्रामीण साख में 37 प्रतिशत का योगदान देती हैं लेकिन इन बैंकों पर वित्तपोषण का संकट निरंतर हावी रहा है जिससे ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में नाकाफी सिद्ध हुए हैं।

मुद्रा बैंक की आवश्यकता – कृषि एवं ग्रामीण विकास की शीर्ष वित्त पोषक संस्था के रूप में शिवारमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई, 1982 को 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं 'रूरल डेवलपमेंट–नाबार्ड' की स्थापना की गई, यह ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं यथा–राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुर्नवित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक व विकासी गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। इसके विपरीत लघु पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्तपोषण, विकास, उद्यमवृत्ति व ऐसे कार्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने वाली प्रमुख वित्त पोषक संस्था के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक; स्माल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया–सिडबी' की स्थापना की गई। यह लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहां यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि जब देश में पहले से ही कृषि, ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों के विकास हेतु नाबार्ड व सिडबी जैसी वित्तपोषक संस्थाएं कार्यरत हैं तो फिर एक और वित्तपोषक संस्था 'मुद्रा बैंक' की स्थापना क्यों की गई? तो इसका सीधा–सा जवाब यही है कि जहां नाबार्ड केवल कृषि एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों का वित्तपोषक है और इससे इतर गतिविधियां वित्तपोषित नहीं होती हैं वहीं सिडबी ने केवल लघु एवं मध्यम उद्योगों पर अपने को केन्द्रित रखा है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यह कुछ खास नहीं कर सका है जबकि वित्तपोषण की सर्वाधिक जरूरत सूक्ष्म उद्यमियों को ही है।

मुद्रा बैंक की स्थापना से जुड़ी दूसरी आवश्यकता माइक्रोफाइनेंस 'लघुवित्त' से सम्बद्ध है। सरकार ने पिछले दो दशकों में सघन वित्तीय समावेशन के पुरजोर प्रयास किए हैं जिसके तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों 'एनबीएफसी' और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी साख सुलभ का कार्य सौंपा गया ताकि सतही स्तर पर देहाती साहूकारों और महाजनी व्यवस्था को वित्तीय व्यवस्था से बेदखल किया जा सके। ये कंपनियां प्रायः उन क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था करती हैं,जहां ऋण अन्तराल विद्यमान है। उपभोक्ता आवश्यकताओं, टिकाऊ वस्तुओं, खुदरा व्यवसायों, सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त पोषण करने में इनकी अहम भूमिका है। साधनहीन समूहों के लिए चैरिटी के रूप में उभरी ये कंपनियां गरीब कर्जदारों को 100 डालर तक के छोटे–छोटे उधार देती हैं। ये उधार प्रायः महिला समूहों, स्वयंसहायता समूहों आदि को दिए जाते हैं, जो किश्तों को साप्ताहिक तौर पर चुकाते हैं। देश में करीब 95 प्रतिशत छोटे ऋण महिलाओं को दिए जाते हैं क्योंकि उधार अदायगी के लिहाज से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सर्वेक्षण बताते हैं कि ये कंपनियां वित्तीय समावेशन की लक्ष्य पूर्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। इनके द्वारा 24 से 32 प्रतिशत तक ब्याज वसूला गया और वसूली के लिए दबंगई, शोषण व गुण्डागर्दी के तरीके भी प्रयोग किए जाने लगे। देश में माइक्रो फाइनेंस का मुख्य केन्द्र रहा आंध्र प्रदेश इसका यथा उदाहरण है यानी इन कंपनियों की त्वरित लाभ की बगुला दृष्टि ने ऋणियों के हितार्थ प्रभावी नियामक कार्यवाही की आवश्यकता उत्पन्न कर दी क्योंकि गरीबों को चैरिटी नहीं अपितु 'अवसर' चाहिए जोकि इनकी शोषक प्रवृत्ति से संभव नहीं है। ऐसे में सुलभ और सूक्ष्म ऋणों की दिशा में 'मुद्रा बैंक' एक उत्प्रेरक कदम है क्योंकि मुद्रा बैंक, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के प्रभावी विनियमन हेतु नई नीतियां व योजनाएं बनाने का कार्य करेगा। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का पंजीकरण, उचित तकनीक का उपयोग, ग्राहक सुरक्षा से सम्बद्ध नीतियां आदि बनाएगा; वित्तीय पारिस्थितिकी का निर्माण एवं विस्तार करेगा, जो गैर–बैंकिंग संस्थानों के लिए वित्त एवं पूंजी का स्रोत हैं। यह अंतिम वित्तदाता से लेकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पूंजी की लागत भी कम करेगा जो ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। यह वित्तरहित को वित्तीय सहायता देगा और देश में उद्यमियों एवं भावी करदाताओं का एक नया पुल तैयार करेगा।

मुद्रा बैंक की तीसरी आवश्यकता वित्त की बुनियादी जरूरत वाले वंचित समूहों की वित्तीय स्थिति से जुड़ी है यद्यपि इस दिशा में पुरजोर प्रयास पहले से किए जा चुके हैं। 'प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिमों से संबंधित अनौपचारिक अध्ययन दल' द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर 1972 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक का वितरण निर्धारित किया गया जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित कुल अग्रिमों का एक निश्चित हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र को वितरित करना अनिवार्य कर दिया गया। मार्च 1974 में रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देशित किया कि मार्च 1979 तक अपने कुल अग्रिमों के 331/3

प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए निर्धारित करें, तदानुसार डॉ. के.एस.कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा पुनः सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना निर्धारित करें। इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक के भीतर उप–क्षेत्रकों के लिए अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसके बाद से प्राथमिकता क्षेत्रक के 40 प्रतिशत लक्ष्य को यथावत रखते हुए इसकी संरचना में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। इस समय प्राथमिकता क्षेत्रक के अन्तर्गत 9 संवर्ग यथा कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, निर्यात के साथ शिक्षा, आवास ,कमजोर वर्ग, मध्यम उद्यम, सामाजिक अधोरचना, अक्षय ऊर्जा शामिल हैं जिसमें से मध्यम उद्योग, सामाजिक अधोरचना, अक्षय ऊर्जा को 23 अप्रैल, 2015 से शामिल किया गया है लेकिन प्राथमिकता की यह परिधि देश में बढ़ती कार्यकारी आबादी, जनांनकीय लाभांश, उद्यमवृत्ति एवं कौशल विकास की महत्वाकांक्षा पूरी करने में नाकाफी सिद्ध हो रही है जबकि मुद्रा बैंक विकास में विविधता आधारित एवं बहुआयामी आवश्यकताओं के वित्तीयन में सक्षम है।

जैसाकि मुद्रा बैंक की बहुमुखी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए माननीय वितमंत्री श्री जेटली ने 28 फरवरी, 2015 के भाषण में कहा था कि हमारी सरकार की यह दृढ़ धारणा है कि विकास से समावेशी वृद्धि का जन्म होना चाहिए। बड़े निगमित एवं व्यावसायिक निकायों को तो अपनी भूमिका निभानी ही है, साथ ही अधिकतम रोजगार पैदा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को भी अनुपूर्ति करनी है। देश में करीब 5.77 करोड़ लघु व्यवसाय इकाईयां हैं जो ज्यादातर एकल स्वामित्व में हैं और विनिर्माण, व्यापार या सेवा संबंधी लघु व्यवसाय चलाती हैं। इनमें से 62 प्रतिशत इकाईयां अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व में हैं, पिरामिड के निचले पायदान पर विद्यमान इन उद्यमियों के लिए अनौपचारिक ऋण तक पहुंच पाना यदि असंभव नहीं तो कठिन तो रहता ही है। इसलिए मैं माइक्रो यूनिट्स डवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लि. मुद्रा बैंक के गठन का प्रस्ताव करता हूं जिसकी समूह निधि 20000 करोड़ रुपये और ऋण गारंटी समूह निधि 3000 करोड़ रुपये होगी। मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से अल्पवित्त संस्थाओं को पुर्नवित्त प्रदान करेगा, उधार देने में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन उपायों से युवा, शिक्षित या कुशल कामगारों के आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होगी। अब वे पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा कर सकेंगे, मौजूदा लघु व्यवसाय भी अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बैंक सेवा से वंचितों को बैंकिंग के दायरे में ला रहे हैं, उसी प्रकार ऋण वंचितों को भी ऋण की परिधि मे ला रहे हैं।

मुद्रा बैंक क्या है – अत्यधिक छोटे और स्वरोजगार कर रहे लोगों के कारोबार को प्रोत्साहन देने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति और वंचित समूहों के उद्यमियों को सस्ती दर पर संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा; माइक्रो यूनिट्स डवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को की। यह सिडबी की तरह एक पुनर्वित्त एजेंसी होगी और शुरुआत में यह सिडबी की सहायक 'सब्सिडरी' कंपनी के तौर पर काम करेगा जिसे बाद में संसदीय कानून के जरिए 'मुद्रा बैंक' के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह बुनियादी तौर पर छोटी इकाईयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगा और छोटी इकाईयों को ऋण देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए यह दो प्रकार के सहयोगियों के साथ गठबंधन करेगा। एक, जिन्हें मुद्रा बैंक रिफाइनेंस करेगा और दूसरे, जो जरूरतमंद उद्यमियों को ऋण देंगे। प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, स्वयंसहायता समूह भी ऋण वितरण के सहयोगी हो सकते हैं लेकिन इसके लिए योजना बनाने का काम मुद्रा बैंक का होगा। पुर्नवित्त के लिए क्षेत्रीय–स्तर पर सहयोगी ढूंढे जाएंगे तथा निचले स्तर तक ऋण वितरित करने के लिए माइक्रो संस्थाएं इसका हिस्सा बनेगी। इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित लघु बैंक, एनबीएफसी, लघु वित्तीय संस्थाएं भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मुद्रा बैंक ऐसी सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनियमन व पुर्नवित्त पोषण के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए लघु कारोबारी कंपनियों को उधार देने का कार्य कर रही हैं। उधार देने में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी।

मुद्रा बैंक का उद्देश्य – मुद्रा बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य सहभागी संस्थाओं के विकास, संवर्धन एवं सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की संवृद्धि के लिए परितंत्र के निर्माण के जरिए समावेशी एवं टिकाऊ तरीके से विकास हासिल करना है। इसके जरिए वित्तीय समावेशन को एक नये मुकाम तक ले जाने की तैयारी है जिसमें सूक्ष्म कारोबारियों और उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था में इन कारोबारियों की हिस्सेदारी और रोजगार पैदा करने की क्षमता को संवर्द्धित करना है। चूंकि देश के गैर–निगमित लघु व्यवसाय क्षेत्र 'एनसीबीएस' उद्यमिता के विकास मे सबसे बड़ा अवरोध इस क्षेत्र को वित्तीय सहयोग का अभाव है, इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक भाग को बाहरी स्रोतों से वित्त उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाईयों को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराकर इन्हें सकल घरेलू उत्पाद 'जीडीपी' और रोजगार सृजन का माध्यम बनाया जा सकता है। इन उद्यमों को मुख्यधारा में लाने से न सिर्फ इन उद्यमियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा बल्कि ये अर्थव्यवस्था में

रोजगार सृजन में अहम योगदान के माध्यम से जीडीपी से अधिक समृद्धि में सहायक हो सकेंगे। इस प्रकार मुद्रा बैंक का ध्येय आर्थिक सफलता व वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल आधारित उद्यमिता संस्कृति निर्मित करना है।

मुद्रा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व – मुद्रा अंतिम छोर के ऐसे सभी वित्तपोषकों जैसे लघु व्यवसाय के वित्तपोषण में लगी विभिन्न प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, समितियों, न्यासों, धारा 25 की कंपनियों, सहकारी समितियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगा, जो विनिर्माण,व्यापार व सेवा संबंधी गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु व्यवसाय निकायों को प्रदान करते हैं। यह बैंक सूक्ष्म/लघु व्यवसायियों निकायों के अंतिम छोर के वित्तपोषकों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु राज्य–स्तरीय/क्षेत्रीय–स्तर के समन्वयकों के साथ भागीदारी करेगा। इसके अलावा मुद्रा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा–

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम वित्तीयन व्यवसाय हेतु नीतिगत दिशा –निर्देश निर्धारित करना।
- अल्पवित्त संस्थाओं का पंजीकरण करना।
- अल्पवित्त संस्थाओं को मान्यता और रेटिंग देना।
- अति ऋणग्रस्तता को रोकने तथा समुचित ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों एवं वसूली के तरीकों को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण कार्य व्यवहार निर्धारित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों के अंतिम छोर के वित्तपोषण के अभिशासन हेतु मानकीकृत वाचाओं ('कोवेनेंटस') का विकास करना।
- अंतिम पायदान पर स्थित लाभार्थियों को वित्त वितरण हेतु समुचित प्रौद्योगिकी समाधान का संवर्द्धन करना।
- बैंकों,एनबीएफसी तथा एमएफआई द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण/पोर्टफोलियो के लिए गारंटी उपलब्ध कराने हेतु ऋण गारंटी योजना बनाना और संचालित करना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों को अंतिम छोर पर ऋण प्रदायन का एक उत्कृष्ट ढांचा तैयार करना।

मुद्रा के उत्पाद एवं सुविधाएं – मुद्रा बैंक द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रचालित प्रारम्भिक उत्पादों और योजनाओं को शिशु, किशोर तथा तरुण नाम दिया गया है जिसमें शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण, किशोर योजना के तहत 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक के ऋण, तरुण योजना के तहत 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक के ऋण लाभार्थियों को दिए जाएंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत ऋण शिशु श्रेणी इकाईयों को दिया जाए और शेष ऋणराशि किशोर एवं तरुण श्रेणियों में जाए। इसके साथ मुद्रा के अन्य उत्पाद इस क्षेत्र को विकासीय सहयोग देने के लिए हैं। मुद्रा बैंक के अन्य उत्पादों में अल्प ऋण योजना, मिसिंग मिडल ऋण योजना, बैंकों हेतु पुर्नवित्त योजना, महिला उद्यमी योजना, व्यापारियों एवं दुकानदारों हेतु व्यवसाय ऋण, उपस्कर वित्त योजना, सहव्युत्पत्ति एवं जोखिम भागीदारी, मुद्रा कार्ड, ऋण गारंटी, वीसी मॉडल शामिल हैं। शिशु, किशोर तथा तरुण योजनाओं के विकास एवं वृद्धि के ढांचे और समग्र उद्देश्य के भीतर जिन उत्पादों की मुद्रा द्वारा घोषणा के स्तर पर पेशकश की गई है, वे विभिन्न व्यवसाय गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

- अधिक से अधिक लाभग्राहियों को समाहित करने और विशिष्ट व्यवसाय गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय गतिविधि केंद्रित योजनाएं बनाकर प्रचालित की जाएंगी।
- भूतल परिवहन क्षेत्र योजना में अन्य के साथ–साथ उन इकाईयों को सहायता दी जाएगी जो मालवाहक तथा व्यक्तिगत परिवहन जैसे आटोरिक्शा, लघु मालवाहक परिवहन गाड़ियां,तिपहिया वाहन, ई–रिक्शा, सवारी कारों, टैक्सियों जैसी परिवहन तथा व्यक्तिगत गाड़ियों की खरीद करेंगी।
- सामूहिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत, ब्यूटीपार्लर, सैलून, जिम्नेसियम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राईक्लीनिंग, साइकिल एवं मोटरसाईकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी, फोटोकॉपी दुकान, दवा दुकान, कोरियर एजेंट आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
- खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में पापड़ बनाना, अचार बनाना, जैम व जैली बनाना, ग्रामीण–स्तर पर कृषि उत्पाद संरक्षण, मिठाई की दुकानें, लघु सेवा खाद्य स्टोर, दैनिक कैटरिंग व कैंटीन सेवाएं, कोल्ड चैन गाड़ियां, शीतगृह, बर्फ एवं आइसक्रीम बनाने वाली इकाईयां, बिस्किट, ब्रेड बनाने वाली इकाईयां जैसी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
- कपड़ा उत्पाद के क्षेत्र में हथकरघा, विद्युतकरघा, चिकनकारी, जरी एवं जरदोजी कार्य, परम्परागत एम्ब्रायडरी, पारंपरिक रंगरेजी एवं मुद्रण, कपड़ों के डिजाइन, बुनाई, सूत कटाई, कम्प्यूटरीकृत एम्ब्रायडरी, स्टीचिंग एवं नॉनगारमेंट्स वस्त्र उत्पाद जैसे कि बैग बनाने, गाड़ी की एसेसरीज, फर्निशिंग एसेसरीज आदि कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

- माइक्रो ऋण योजना के तहत अल्पवित्त संस्थाओं, व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों, संयुक्त देहता समूहों, स्वयंसहायता समूहों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास 'एमएसएमईडी' अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के तहत पात्र अस्तियों के सृजनार्थ आगे ऋण देने हेतु समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे कृषि इतर आयअर्जक गतिविधियां संचालित कर सकें।
- मिसिंग मिडल ऋण योजना के तहत वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम एवं कृषि इतर आयअर्जक गतिविधियां संचालित करने के लिए व्यक्तियों को आगे ऋण प्रदायन हेतु समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी जहां प्रति लाभार्थी ऋण की राशि 50,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक हो।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों को पुर्नवित्त के माध्यम से उनकी तरलता को बढ़ाया जाएगा। इन ऋणों का आकार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रक उद्यमों के लिए प्रति उधारकर्ता 10,00,000 रुपये तक रहेगा।
- महिला उद्यमी योजना के तहत अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वे महिलाओं, महिला समूहों, संयुक्त देहता समूहों, स्वयंसहायता समूहों को आगे उधार दे सकें जिससे कि वे ऐसी अर्ह सम्पत्तियों का सृजन कर सके जोकि एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उद्यम चलाने हेतु अपेक्षित हैं और कृषि इतर आय अर्जक गतिविधियां चला सके।
- व्यावसायिक व्यक्तियों को उनकी दुकान, व्यापार, व्यावसायिक गतिविधियों, बचत, उद्यमों को चलाने, गैर–कृषि आयअर्जक क्रियाओं को चलाने, आवश्यक मशीन खरीदकर सूक्ष्म उद्यम लगाने हेतु ऋण की व्यवस्था के लिए भी अल्पवित्त संस्थाओं को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लघु सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी उत्पादों का भी पुर्नवित्तीकरण किया जाएगा ताकि सूक्ष्म इकाईयों के सामने आने वाली बाधाओं जैसे आस्ती अभिग्रहण हेतु मार्जिन राशि के लिए आवश्यक पूंजी के अभाव की पूर्ति एनबीएफसी व अल्पवित्त संस्थाओं द्वारा की जा सके।

मुद्रा ऋण क्या है – वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 27.01.2015 सीपी/आरआरबी दिनांक 14 मई, 2015 के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए गैर–कृषि आय अर्जक उद्यमों को ऐसे ऋण जो विनिर्माण, व्यापार और सेवा के लिए हो तथा जिनकी ऋण जरूरत 10 लाख रुपये से कम हो, को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाएगा। ऐसे सभी ऋणों को पुर्नवित्त या मुद्रा के ऋण वृद्धि उत्पादों के अर्न्तगत समाहित किया जा सकता है। इन बैंकों और एनबीएफसी के अलावा जो अन्य अल्पवित्तीय संस्थाएं देशभर में कार्यरत हैं और इस घटक को ऋण उपलब्ध करा रही हैं एवं अनुमोदित पात्रता मानदंड पूरा करती हैं, वे मुद्रा से ऋण सहायता प्राप्त कर सकती हैं। मुद्रा ने अंतिम उधारकर्ता तक सहायता चेनलाईज करने के लिए पात्रता मानदंडों के आधार पर 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 17 निजी क्षेत्रीय बैंकों और 25 अल्पवित्त संस्थाओं के साथ साझेदारी शुरू की है। जो उधारकर्ता प्र.मु.यो. के तहत सहायता चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र मे उपर्युक्त संस्थाओं मे से किसी भी संस्था की स्थानीय शाखा से संपर्क कर सकते हैं, सहायता की स्वीकृति संबंधित ऋण संस्थाओं की पात्रता मानदंडों के अनुसार होगी। मुद्रा ने सिडबी के विभिन्न क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों में 97 नोडल अधिकारियों को मुद्रा के पहले सम्पर्क व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित किया है। मुद्रा उत्पादों की सभी जानकारियों और सहायता के लिए उधारकर्ता मुंबई में मुद्रा कार्यालय या चिन्हित नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर सकता है। यह विवरण मुद्रा की वेबसाइट www.mudra.org.in पर दिया गया है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुद्रा अनौपचारिक क्षेत्र को वित्तीय अवलम्बन प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है जो साधनहीन समूहों के लिए विकास का वरदान सिद्ध होगी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की सघनता और व्यापकता अधिक है। एनएसएसओ का वर्ष 2013 का सर्वे बताता है कि देश में असंगठित क्षेत्र के 5.77 करोड कारोबारी हैं जिनके पास कुल 11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी है। उनमें से केवल 4 प्रतिशत पूंजी ही संस्थागत तरीके से इन तक पहुंचती हैं, शेष जरूरतें गैर–संस्थागत तरीके से पूरी करते है। यह क्षेत्र 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसके विपरीत बड़े कार्पोरेट बैंकों से पिछले 22 वर्षों में 58 लाख करोड़ रुपये का कर्जा मिला है जिससे केवल 22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैंक छोटे कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 'मुद्रा बैंक' अनौपचारिक क्षेत्र का संस्थागत वित्तीयन करके उसे विकास के नये मुकाम पर खड़ा होने में सक्षम बनाएगा।

(लेखक क्रेडिट डिवीजन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ तकनीकी सहायक हैं।)
ई–मेल : gajendra10.1.88@gmail.com

किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन का सरल जरिया

—सुधांशु सिंह

देश का एक बड़ा हिस्सा खेती में लगा है। सरकार वित्तीय समावेशन के जरिए किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर है। ऐसी स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित हो रहा है। चूंकि इससे किसान न केवल सूदखोरों के जाल से बच रहे हैं बल्कि समय से खाद-बीज खरीद कर देश की उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऐसा नायाब तोहफा दिया गया, जिसने करोड़ों लोगों को फिर से खेती से जोड़ दिया है।

केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय समावेशन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक ग्रामीण इलाके की बात है तो गांवों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वित्तीय समावेशन की कोशिश जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड इस दिशा में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि अभी तक तमाम किसान खेत की जुताई और बुवाई के लिए गांव के साहूकारों से ऋण लेते थे। ऐसी स्थिति में वे लिए गए ऋण से कई गुना अधिक ब्याज चुकता करते थे। अक्सर विभिन्न इलाकों से खबरें आती थी कि कर्ज में डूबे किसान ने आत्महत्या कर ली। इसकी मुख्य वजह थी कि वे एक बार साहूकार से कर्ज ले लेते थे तो फिर उसकी भरपाई करने में ही पूरी जिंदगी की कमाई निकल जाती थी। यानी वे मूल धन चुकता नहीं कर पाते थे। खेती से जितनी भी आमदनी होती थी, वह ब्याज चुकाने में चली जाती थी। कई बार तो पीढ़ी–दर–पीढ़ी ब्याज का सिलसिला चलता रहता था। इसकी काट के रूप में सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लांच की गई। अब स्थिति यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान स्वावलंबी बन रहे हैं। वे जब जरूरत होती है बैंक से ऋण लेते हैं और नियमित रूप से किस्त का भुगतान करके खेती कर रहे हैं। ऐसे में उनकी खेती की लागत भी अधिक नहीं होती है। क्योंकि तमाम बार किसान जब गांव के दुकानदारों से ऋण पर

खाद, बीज लेता हैं तो उसे महंगी दर पर खाद व बीज मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जब वह किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से पैसा लेकर दुकान पर जाता है तो सबसे पहले खाद व बीज का भाव पता करता है। वह दो–चार दुकानों पर पड़ताल करने के बजाय जिस दुकान पर सही चीज और सही दाम में मिलती है वहीं से खरीदता है। यानी घटिया खाद महंगी दर पर खरीदने की उसकी मजबूरी खत्म हो गई है। यह संभव हो सका है किसान क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा भी केंद्र सरकार की ओर से किसानों को वित्तीय सहयोग देने की दिशा में तमाम कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

जहां तक वित्तीय समावेशन की बात है तो इसका सीधा–सा मतलब होता है समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। इसके साथ ही ये सेवाएं उन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिए। ग्रामीण इलाके में सबसे खराब स्थिति किसानों एवं मजदूरों की रहती है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए समाज के सबसे निचले तबके के बीच वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। वैसे भी वित्तीय समावेशन को विभिन्न स्तरों पर बल दिया जा रहा है। तमाम विकासशील देशों के केंद्रीय बैंकों के मुख्य लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन भी शामिल हो गया है। इससे स्पष्ट है कि वित्तीय समावेशन की नीति अपनाए बिना तरक्की की राह पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता है। इसी फंडे को अपनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से इस साल तमाम नए प्रावधान किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में छह दशक की आजादी के बाद करीब 6,50,000 गांवों में से सिर्फ 6 प्रतिशत में बैंक शाखाएं हैं। इतना ही नहीं खाताधारकों की संख्या भी काफी कम है। रिजर्व बैंक के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा चलाई जा रही वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में आने वाले गांवों की संख्या मार्च 2013 तक सिर्फ 2,68,454 रही। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की पहल की गई, जिसका नतीजा है कि बैंकों में करीब–करीब हर परिवार का खाता हो गया है।

बीमा योजना का लाभ देने की वजह से हर परिवार बैंक में खाता खुलवा रहा है। इतना ही नहीं ग्रामीण इलाके में लगातार बैंक शाखाएं खोलने की भी कोशिश की जा रही है। ये सारी कोशिशें वित्तीय समावेशन की दृष्टि से ही की जा रही हैं। इससे गांव और गरीबों को संबल मिलेगा। साथ ही भारत की तरक्की की राह खुलेगी। वास्तव में किसानों को लेकर केंद्र सरकार हमेशा संजीदा रही है। वर्ष 1981–82 में जारी की गई अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया कि खेतिहर परिवार के औसत ऋण में 139 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। असम के अलावा देश के हर राज्य में किसान किसी न किसी रूप में सूदखोरों–महाजनों के जाल में फंसे थे। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सरकार ने सूदखोरों से किसानों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। लेकिन वर्ष 1987 में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया को यह कहना पड़ा कि किसानों के लिए उसे जो राशि जारी की जा रही है उसका 60 फीसदी हिस्सा वित्तीय संस्थानों के जरिए दिया जा रहा है। इसके बाद भी छह फीसदी हिस्सा ही किसान परिवारों तक पहुंच पा रहा है। इस टिप्पणी के बाद सरकार ने सुधार का प्रयास किया। सन् 1990 के दशक में आईआरडीपी के तहत किसानों को खेतीबाड़ी से विमुख होने से बचाने के लिए सरकार की ओर से गठित टॉस्क फोर्स कमेटी ने योजना की स्थिति से तत्कालीन प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को वाकिफ कराया था जिस पर सरकार ने योजना की मानिटरिंग में लगे कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। इसी तरह 1985 में फसल बीमा योजना शुरू की गई जो 23 राज्यों में चल रही है। ऐसी स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड का सफरनामा

केंद्र सरकार ने 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। इसकी जिम्मेदारी संभाली आरबीआई और नाबार्ड ने। इस योजना में किसानों को उसकी जोत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्हें जितने रुपये की जरूरत है, उतना रुपया बैंक से आसानी से मिल जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड की संयुक्त पहल पर तैयार किया गया। इसे वर्ष 1998–99 में लागू किया गया। इसके जरिए किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना के जरिए किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिए अलग–अलग आवेदन करने की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब एक बार जोत बही के आधार पर तैयार किए गए कार्ड से वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। नजदीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से सम्पर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ज्यादा भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है। वे अपने इलाके में स्थित बैंक में जाएं और आवेदन कर दें। किसानों को पासबुक दी जाती है। इसमें पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि, एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाता है,जो पहचान–पत्र का भी काम करता है। खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड–सह–पासबुक दिखाना होता है। इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 10 हजार रुपये तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं दी जाती है, लेकिन जो किसान 25 हजार रुपये से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 फीसदी तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसान खरीफ एवं रबी सीजन में 50 हजार रुपये तक का ऋण ले सकता है। वास्तव में अगस्त 1998 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना एक ऐसे अभिनव ऋण वितरण तंत्र के रूप में उभरी है जिससे किसानों की उत्पादन ऋण संबंधी आवश्यकताएं सही समय पर और बिना किसी कठिनाई के पूरी होती हैं। पिछले 15 वर्षों के दौरान नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ता बैंकों और किसानों को इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बाधा के लिए मुकम्मल रास्ता ढूंढा गया। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड–सह–डेबिट कार्ड के तहत लाने हेतु इस योजना में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए इंडियन बैंक के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक टीएम भसीन की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा हेतु एक कार्यदल का गठन किया। भारत सरकार द्वारा कार्यदल की सिफारिशें स्वीकार कर लेने के बाद नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड पर संशोधित परिचालनात्मक दिशानिर्देश वर्ष 2012 को जारी किए गए हैं। इसके तहत पेपर कार्ड (पासबुक) प्लास्टिक कार्ड हो गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के अलग–अलग नाम

- इलाहाबाद बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड
- आंध्रा बैंक–ए. बी. किसान ग्रीन कार्ड
- बैंक ऑफ बड़ौदा–बी. किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक ऑफ इंडिया–किसान समाधान कार्ड
- केनरा बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड

- कॉर्पोरेशन बैंक–किसान क्रेडिट कार्ड
- देना बैंक–किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स–ओरिएंटल ग्रीन कार्ड (ओ. जी.सी)
- पंजाब नेशनल बैंक–पी. एन. बी. कृषि कार्ड
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद–किसान क्रेडिट कार्ड
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया–किसान क्रेडिट कार्ड
- सिंडिकेट बैंक–सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड
- विजया बैंक–विजया किसान क्रेडिट कार्ड

वित्तीय समावेशन के अन्य प्रावधान

प्रधानमंत्री जन धन योजना

इस योजना के जरिए केंद्र सरकार ने भारत में वित्तीय समावेशन को गति दी है। इसके जरिए देशभर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं। हर परिवार का बैंक खाता खोला जा रहा है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त, 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ई–मेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाते को एक 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा।

निश्चित रूप से इस योजना के लागू होने के बाद इसका असर भी दिखने लगा है। अब भारत के हर गांव के हर परिवार का खाता खुल गया है। अकेले योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। इस योजना के तहत पहले चरण यानी 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं इन खातों में छह माह के बाद 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाते और एक लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड और रुपे किसान कार्ड सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह द्वितीय चरण यानी 15 अगस्त, 2015 से 15 अगस्त, 2018 तक ओवरड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही सूक्ष्म बीमा, स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है। औसतन 3–4 गांवों के 1000–1500 परिवारों वाले देश के सभी ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के सब–सर्विस एरिया (एसएसए) को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसमें पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों को छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार की कोशिश है कि समूचे देश में सभी करीब साढ़े 6 लाख गांवों को सर्विस एरिया के साथ जोड़ा जाए। इन गांवों में बैंक सब–सर्विस एरिया वाले 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतें एक निश्चित बैंकिंग बिंदु से पूरी की जाएगी। यह प्रस्ताव है कि सब–सर्विस क्षेत्रों को बैंकिंग केंद्रों अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग के जरिए कवर किया जाएगा।

भारत में मोबाइल बैंकिंग

वित्तीय समावेशन को गति देने की दृष्टि से ही मोबाइल बैंकिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत 2008 में ही कर दी गई थी, लेकिन बीच के वर्षों में यह प्रोजेक्ट सुप्तावस्था में रहा। अब केंद्र सरकार इसे गति देने की कोशिश में जुटी हुई है। अक्टूबर 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहली बार मोबाईल बैंकिंग ट्रांसैक्शन्स के लिए नियम निर्धारित किए। इसके अनुसार यह आवश्यक किया गया कि मोबाइल फोन पर होने वाले ट्रांसैक्शन्स किसी एक बैंक खाते से ही शुरू हो तथा समाप्त भी किसी बैंक खाते पर ही हो।

बैंकिंग कॉरस्पांडेंट योजना

भारत में वित्तीय समावेशन हेतु चलाई जा रही भारतीय रिज़र्व बैंक की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई। लेकिन इस योजना को भी अब गति दी जा रही है। इसके जरिए गांव–गांव में बैंकों की शाखाएं खोलना बैंकों के लिए फायदे का सौदा नहीं है क्योंकि कम जनसंख्या के कारण लाभ कम होता है लेकिन लागत पूरी आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दूरदराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए बिचौलिए के रूप में सेवा प्रदाताओं का उपयोग करने की अनुमति दी जिन्हें बिजनेस फैसिलिटेटर अथवा बैंकिंग करेस्पांडेंट नाम दिया गया है। अब इस योजना को बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके के विभिन्न बाजारों में इसके केंद्र खुले हुए हैं। विभिन्न बैंकों की ओर से छोटे–छोटे गांवों और ढाणियों में भी बिजनेस फैसिलिटेटर नियुक्ति किए जा रहे हैं जो ग्रामीणों को बैंकिंग संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके एवज में उन्हें बैंक की ओर से निर्धारित कमीशन दिया जाता है। इससे एक तरफ बैंकिंग की सुविधा गांव में ही मिल रही है वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है।

स्रोत

कृषि मंत्रालय की जारी रिपोर्ट।
विभिन्न बैंकों की ओर से समय–समय पर जारी रिपोर्ट।
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।

(लेखक जयपुर स्थित प्रबंध संस्थान से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास व कृषि अर्थव्यवस्था एवं समसामयिक मुद्दे पर नियमित लेखन में सक्रिय)
ई–मेल: sudhansingh654@gmail.com

वित्तीय समावेशन की नई शुरुआत जन-धन योजना

—गौरव कुमार

वित्तीय समावेशन के लिए हमें अधिकांश लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही मीडिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की भी जरूरत है। सबसे पहले हमारे लिए वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान जरूरी है। हम आम नागरिक, स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मियों को इसके लिए चुन सकते हैं। हमारी शुरुआत स्कूली बच्चों से होनी चाहिए। चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं।

जब भी हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तब इसका तात्पर्य कम आय वाले वंचित लोगों के बीच बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुगमता से की जाने की अवधारणा से सम्बंधित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो इन सुविधाओं से वंचित हैं उन तक बचत, ऋण, बीमा आदि वित्तीय सेवाओं की औपचारिक व्यवस्था पहुंचे। वित्तीय समावेशन की कोई सार्वभौम सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। यह भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं देशकाल के अनुरूप निर्धारित होती है। विश्व बैंक के अनुसार "मूल्य संबंधी अवरोधों के बिना वित्तीय सेवाओं तक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। इसे परिभाषित करना और मापना कठिन है क्योंकि पहुँच की बहुत सारी विधाएं हैं।" भारत में वित्तीय समावेशन पर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2008 में दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "कम आय और कमजोर वर्गों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक ससमय सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन को गरीबों, वंचित समूहों, कम आय के लोगों की वित्तीय सेवाओं व उत्पादों तक सुगम तरीके से पहुँच के रूप में देखा जाता है। इन सेवाओं के संकेतक हैं—जमा, निकासी, ऋण, बीमा, भुगतान सेवा, मनी ट्रांसफर आदि।

भारत आर्थिक प्रगति की दिशा में बढ़ता हुआ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विकासशील देश है। परन्तु यह भी सत्य है कि विकास के लाभों तक अधिकांश लोगों की पहुँच सुनिश्चित कर पाने में हम अब तक पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का है। 2011 की जनगणना के आधार पर देखा गया है कि गांवों की आबादी में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। साथ ही गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, तकनीक आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। परन्तु एक प्रमुख क्षेत्र है वित्तीय समावेशन का जिसमे ग्रामीणों की भागीदारी अत्यल्प है या उसकी बेहतर प्रगति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाई है। आज देश के कई गाँव वित्तीय सेवाओं की पहुंच से दूर हैं। देश के शहरों की बात करें तो वहाँ भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में एक परियोजना पर कार्य करने के दौरान राजधानी दिल्ली में वित्तीय समावेशन पर एक सर्वेक्षण से 2010 में मुझे ऐसे केवल 33 प्रतिशत लोग मिले जिनका किसी भी बैंक में खाता था। सर्वेक्षण में शामिल सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए मजदूर, रिक्शाचालक, ऑटो चालक थे। उन लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि वित्तीय समावेशन क्या है। यहाँ तक कि वे बैंकों में जाने तक से हिचकते हैं। बैंक जाने में उन्हें डर भी लगता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रो में और भी अधिक है। जहां बैंक में जाना गरीबों के लिए एक अलग तरह के सामाजिक एवं आर्थिक

भेदभाव को दर्शाता है। आज भी हमारे देश में अधिकतर ग्रामीण लोगों के पास अपना किसी तरह का कोई बैंक खाता नहीं है। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब यह उम्मीद की गई थी कि बैंकों का मकसद गरीबों के लिए भी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना होगा, किन्तु अफसोस कि इस उम्मीद पर बैंकिंग क्षेत्र कायम नहीं रह सका। मैक्स न्यूयार्क लाइफ के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में 60 प्रतिशत मजदूर अपने बचत के पैसे को घर पर नगद रूप में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सूदखोरों से ऊँची ब्याज दरों पर ऋण भी लेते हैं।

'जन–धन योजना' : इस बीच लालकिले की प्राचीर से देश को वित्तीय समावेशन के लिए एक अहम् सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने "जन धन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त, 2014 को सम्पूर्ण देश में इसका शुभारम्भ भी किया जा चुका है। वित्तीय समावेशन की दिशा में यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान है, जिसका लाभ कई रूपों में भारतीय नागरिकों और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राप्त होगा। इस दिन एक साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ योजना की शुरुआत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसका विस्तार सम्पूर्ण देश में रहा। देश की करीब 600 जगहों पर इसी दिन यह योजना शुरू की गई तथा करीब 77 हजार शिविरों के माध्यम से लोगों के खाते खोले गए। पहले ही दिन देश भर के करीब डेढ़ करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने योजना की खूबियों को गिनाते हुए कहा कि यह योजना गरीबी से लड़ाई में अर्थव्यवस्था के लिए अहम् साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय रूप से जो देश में भेदभाव हैं, उसे दूर करते हुए हमारा उद्देश्य आर्थिक तंत्र के बाहर के लोगों को इसमें शामिल करना होना चाहिए और यह योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति को समर्पित है।

गौरतलब है कि जन–धन योजना का प्रारूप मोदी सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के दौरान बन गया था। यह योजना विश्व–स्तर की सबसे बड़ी योजना है जिसमें न केवल गरीबों और वंचितों के लिए बैंक खाते खोलने का प्रावधान है बल्कि इसमें गरीबों के लिए वित्तीय तंत्र में सुविधाजनक तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करने के भी उपाय किए गए हैं। योजना के तहत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार में एक बैंक खाता सुनिश्चित किया जाएगा। जिनका भी बैंक खाता इस योजना के माध्यम से 26 जनवरी, 2015 तक खुलेगा उस प्रत्येक खाताधारक का एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। साथ ही 30 हजार का जीवन बीमा भी होगा। योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक खाताधारक को रुपे का डेबिट कार्ड और 6 माह तक खाता संचालन के पश्चात 5 हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।

इस योजना को देश भर में काफी सराहना मिली है। बैंक खाता खुलने के साथ ही कोई भी व्यक्ति देश के आर्थिक तंत्र के साथ जुड़ने की ओर पहला कदम बढ़ाता है। यह न केवल उस व्यक्ति को बचत और निवेश के लिए प्रेरित करता है बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में लघु बचत के माध्यम से सहायता भी मिलती है। इसके अलावा जब लोगों में बैंकिंग की आदत पड़ती है तो यह कई तरह की सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में भी मददगार होता है। इसके अलावा इससे लोगों की पहुँच संस्थागत वित्तीय स्रोतों तक होगी जिससे भविष्य में वे और भी वित्तीय उत्पादों जैसे सस्ता ऋण, बीमा, निवेश–पत्र आदि की प्राप्ति कर सकेंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति काफी अधिक खराब है जहां किसानों को सस्ते कर्ज नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की खबरें मिलती रहती हैं। देश के समग्र विकास के लिए जरुरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख भागीदार बनाया जाए, और इसके लिए जरुरी है कि उन्हें वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच की सुविधा दी जाए।

वित्तीय साक्षरता की दरकार

लेकिन केवल वित्तीय सेवाओं की पहुंच से ही लोगों का वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक देश में लोगों को वित्तीय शिक्षा नहीं मिल जाती है। वित्तीय साक्षरता से तात्पर्य है ऐसी योग्यता जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वित्त प्रबंध को सम्बद्ध करके निर्णय कर सके। वर्तमान की जटिल वित्तीय सेवाओं व उत्पादों की अपार उपलब्धता ने लोगों के समक्ष चयन और विशेषज्ञता की मांग प्रस्तुत की है। यह वर्तमान की वास्तविकता है कि देश की अधिसंख्य आबादी अपनी मांग और जरूरतों की पूर्ति के लिए पारंपरिक वित्तीय सेवाओं पर निर्भर है। सरकारी नीतियों व व्यवस्थाओं के प्रति लोगों में जागरुकता का अभाव व डर व्याप्त है। इस सन्दर्भ में वित्तीय साक्षरता के द्वारा उन तमाम लोगों को इन औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जा सकेगा।

तकनीकी रूप में हम किसी को वित्तीय साक्षर तब कहेंगे जब वह वित्त बाजार के उत्पादों, संकट व लाभ की समझ रखता हो तथा जरूरत की प्राथमिकताओं के साथ अपना समायोजन करे। आर्थिक सुधारों, नीतियों की जानकारी व आत्मविश्वास के साथ अपने सीमित संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक सुनियोजित प्रयोग करना वित्तीय साक्षरता का लक्षण है। वित्तीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता न केवल विकासशील वरन विकसित देशों के लिए भी जरूरी है। विकसित देशों में विकास की गति के साथ–साथ वित्तीय उत्पादों की संख्या और जटिलता में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही सरकार और वित्तीय संस्थाओं के ऊपर सामाजिक सुरक्षा व लोगों को बैंकिंग सेवाओं और उनके व्यक्तिगत

वित्त प्रबंध की जिम्मेदारी भी आई है। इसकी पूर्ति निश्चित तौर पर वित्तीय शिक्षा प्रदान कर की जा सकती है। विकासशील देशों के साथ भी यही स्थिति है, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता वर्ग का उदय और इसके साथ वित्तीय उत्पादों व सेवाओं की संख्या व जटिलता भी बढ़ी है। भूमंडलीकरण, व्यक्तिगत गतिशीलता के दौर में वर्तमान की प्रमुख मांग है अधिक से अधिक वित्तीय जागरुकता। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से प्रति व्यक्ति जीवन की गुणवत्ता वृद्धि के साथ–साथ एकीकृत और गुणवत्तापूर्ण बाजार की प्राप्ति भी संभव है। इससे न केवल व्यक्तिगत वित्त सुधार होगा बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी सापेक्षिक महत्व रेखांकित होगा।

आज इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उनमें वित्तीय जागरुकता लाई जाए। इसके लिए उन्हें वितीय साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता को अपने सामान्य नागरिक अधिकार तक पता नहीं होते जो भारतीय संविधान में एक नागरिक होने के नाते उन्हें प्रदान किए गए हैं तो फिर वितीय अधिकार तो दूर की बात है। किसी भी योजना की सफलता और असफलता का निर्धारक उसका क्रियान्वयन तंत्र होता है। जन–धन योजना से भी काफी उम्मीदें हैं, किन्तु इसके साथ ही कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। पहली और प्रमुख समस्या तो जनता के बीच इस योजना के प्रति जागरुकता को लेकर है। लोगों में वित्तीय जागरुकता इसका अगला चरण हो सकता है। जब देश के ग्रामीण नागरिक वित्तीय साक्षरता प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें अपने वित्तीय निर्णय लेने में आसानी होगी। साथ ही वे संस्थागत ऋण के बारे में जान सकेंगे, और बैंकिंग आदत को अमल में लाना प्रारम्भ कर देंगे। बैंकिंग की आदत देश में आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में हमेशा सहयोग करती है। जब लोगों में बैंकिंग की आदत बनी रहती है तो वे बचत करते हैं और यह बचत सकल घरेलू उत्पाद की दर को बढ़ाती है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन से सरकारी सब्सिडी बिना किसी लीकेज के सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार रोकने में भी काफी मदद मिल सकेगी।

वित्तीय समावेशन के प्रयास

हालांकि इस योजना के पूर्व में भी सरकारी बैंकों ने इस दिशा में प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा ज्यादा कार्य किया है। पिछले दो वर्षों में 2000 से अधिक आबादी वाले 73000 गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन देश के 6 लाख गांवों तक यह सुविधा पहुंचाने में जन–धन योजना एक अहम् कदम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2005 में सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे गरीब जनता का खाता शून्य जमा (नो फ्रिल्स) पर खोलें। परन्तु देश के कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा किसी बैंक ने इस दिशा में अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं की। देश के लगभग 6 लाख गांवों तक

बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शाखारहित बैंकिंग की अवधारणा भी सामने आई थी। इसके अंतर्गत बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर ही बैंकिंग सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वंचितों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को रियायती दर पर ऋण (1969) को अमल में लाया गया। वर्ष 1990 से 2000 के दशक में बैंकिंग नीति का जोर बैंकों को सशक्त व रचनात्मक बनाने पर था। वर्ष 1982 में बैंकों को कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु नाबार्ड का गठन किया गया। इसी प्रकार ग्रामीणों की कृषि व अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई। नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में जिम्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया जिसके तहत स्वयंसहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। नवम्बर 2005 में रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों से बिना पैसे के (नो फ्रील्स) खाता खोलने का सुझाव दिया गया जोकि एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में वित्तीय समावेशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा शाखा रहित बैंकिंग की अवधारणा भी सामने आई जिसके तहत बिजनेस फेसिलिटेटर के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर ही बैंकिंग सुविधा देने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से किसानों के लिए वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड और 2005 में जनरल क्रेडिट कार्ड का भी प्रावधान वित्तीय समावेशन की दिशा में अहम् कदम था।

इसके अलावा लोगों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रम और प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्रामीण वित्तीय साक्षरता हेतु गांवों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था। लोगों में वित्तीय साक्षरता के लिए कॉमिक बुक्स का प्रकाशन भी किया गया, यह अब ब्रेललिपि में भी मौजूद

है जिससे कि नेत्रहीन भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कर्नाटक राज्य में 2009 से वित्तीय समावेशन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

वित्तीय समावेशन की भविष्योन्मुखी राह

वित्तीय समावेशन की महत्वाकांक्षी योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि देश का हर नागरिक अपने वित्तीय अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूक न हो जाए। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कार्य करने होंगे। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी वित्तीय समावेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही वित्तीय जागरुकता की दर लगभग 33 प्रतिशत है। वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को केंद्र में रखते हुए विगत दिनों में कई बार ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने विश्व के प्रमुख देशों के केन्द्रीय बैंकों के साथ मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन किया। उनके वित्तीय शिक्षा के प्रति कार्यानुभवों को आपस में साझा किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। भारत के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है और इस दिशा में हमें आवश्यक कार्यवाही को अंजाम देने के लिए सरकारी उपायों के साथ–साथ आम जन को भी सहयोग देना होगा। बैंकिंग प्रणालियों की कुछ व्यवहारगत खामियों को सुधारने के साथ विशाल जनसंख्या के साथ सही तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। जन–धन योजना के कारण हमारे बैंकिंग तंत्र पर भी काफी बोझ पड़ेगा जिसके लिए हमें आधारभूत संरचना और संसाधनों को बढ़ाना और उनका विकास करना होगा। तभी हम समावेशी विकास के रास्ते पर अग्रसर हो पाएंगे।

वित्तीय समावेशन के लिए हमें अधिकांश लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही मीडिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की भी जरूरत है। सबसे पहले हमारे लिए वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान जरूरी है। हम आम नागरिक, स्कूली बच्चे और सरकारी कर्मियों को इसके लिए चुन सकते हैं। हमारी शुरुआत स्कूली बच्चों से होनी चाहिए। चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं। इसके लिए एक पहल यह हो सकती है कि हम वित्तीय साक्षरता के लिए एक पाठ्यक्रम बनाएं और उसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक संचालित करें। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में वित्तीय समावेशन के अध्यायों को शामिल कर हम देश की युवा पीढ़ी को आज से ही एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकारों और शिक्षण संस्थाओं को इसके लिए राजी करना होगा और इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है जैसाकि कर्नाटक राज्य में रिज़र्व बैंक के सहयोग से किया गया है।

इसके अलावा हम पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरपालिका संस्थाओं को इस वित्तीय साक्षरता मुहिम से जोड़ सकते हैं। ये संस्थाएं आम जन से जुड़ने का सबसे सरल रास्ता हैं। इसके माध्यम से हम ग्राम–स्तर पर जागरुकता शिविर का संचालन कर सकते हैं, लोगों के लिए सूचना केंद्र बना सकते हैं। 'मनरेगा' एक बहुत विशाल योजना है इसके अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से होता है, मनरेगा मजदूरों को बैंकिंग शिक्षा देने के लिए हम कार्यदिवसों में कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करा सकते हैं जहां उन्हें इसकी शिक्षा दी जा सके। आज डिजिटल क्रान्ति की बात हो रही है देश के ग्रामीण अंचलों में भी हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन, टेलीविजन और अन्य सूचना के साधन हैं, हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक क्लिक पर लोगों को तमाम वित्तीय जानकारी प्राप्त हो सकें।

वर्तमान में बीमा क्षेत्र बहुत व्यापक–स्तर पर फैला हुआ है। किन्तु आज भी बहुत से लोग इसके प्रति गंभीर रूख नहीं अपनाते। लोगों में बीमा कराने के प्रति भी जागरुकता नहीं है और इसके अलावा बीमा एजेंट तरह–तरह से प्रलोभन और झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं। इस दिशा में भी हमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए बीमा कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। बीमा एजेंटों के रूप में समाज के वैसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो विश्वस्त और सम्माननीय हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब बैंकों का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बैंकों की शाखा में ही जागरुकता के लिए एक सेल की स्थापना की जा सकती है। इसका कार्य लोगों में जागरुकता और उनकी वित्तीय अज्ञानता से उत्पन्न समस्या का समाधान करना होगा।

इन सब प्रयासों का सम्मिलित प्रतिफल यह होगा कि देश एक वित्तीय साक्षर राष्ट्र बनेगा और तदुपरांत एक वित्तीय समावेशित राष्ट्र भी।

सन्दर्भ

- http://pib.nic.in
- http://www.rbi.org.in
- finmin.nic.in
- www.nabard.org

(लेखक लेजिस्लेटिव एनालिस्ट और नीतिगत मामलों के जानकार हैं)
ई–मेल : gauravkumarsss1@gmail.com

डिजिटल इंडिया : परिकल्पना और चुनौतियां

—सुनीता चौधरी

डिजिटल इंडिया की अगली चुनौती और भी बड़ी है। यह चुनौती है पूरे देश को इस योजना से जोड़ने की। यानी इस योजना को समावेशी बनाने की। मौजूदा रूप में तो डिजिटल इंडिया जैसी योजना स्मार्ट सिटी के अलावा देश के नगरों में काफी कुछ लागू हो सकती है। लेकिन इसके आगे की राह बहुत कठिन होगी। इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जो अब भी निरक्षर हैं? और शिक्षा के अधिकार के बावजूद उनकी अगली पीढ़ी डिजिटल इंडिया के उपयोग लायक साक्षर बन पाएगी, इसकी बहुत उम्मीद नहीं बंधती। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तभी सार्थक हो सकता है, जब वह सिर्फ कुछ सुविधासम्पन्न लोगों तक सीमित न रह जाए, बल्कि सभी लोगों के लिए समाधान का जरिया बने।

"डिजिटल इंडिया भारत के हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में एक वास्तविक सुधार करेगा''—अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा व्यक्त किए गए विचार अंतर्राष्ट्रीय—स्तर पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की महत्ता को प्रकट करते हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलते हुए, आईटी (इंडियन टैलेंट) + आईटी (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी) आईटी (इंडिया टुमारो) को प्राप्त कर परिवर्तनकारी बनाना है। इसका उद्देश्य युवा भारत की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ युग्मित प्रौद्योगिकी के लिए भारत को सशक्त क्षमता निर्माण के लिए विकल्प और दिशा देना है। डिजिटल इंडिया को, डिजिटली और डिजिटल से वंचित गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, रोजगार और बेरोजगार, साक्षर और निरक्षर और सशक्त एवं असशक्त के बीच खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल इंडिया की अवसंरचना सेवाओं के वितरण के लिए शासन की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी होगी।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विकास के लिए आवश्यक नौ स्तंभों अर्थात् ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई—शासन : प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई—क्रांति : सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिकी डिलिवरी, सभी के लिए सूचना, इलैक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रमों को बल प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लीकेज को रोकने की पहल की गई है। इसके लिए जैम (जनधन, आधार और मोबाइल) को चुना गया है। जैम का उपयोग लक्षित जनसमूह

तक सुविधाओं के हस्तांतरण को केशलेस ढंग से लीक–प्रूफ बनाने में मददगार साबित होगा। इस कार्यक्रम का केन्द्र तीन प्रमुख परिकल्पनाएं हैं– प्रत्येक नागरिक को उपयोग के रूप में बुनियादी ढांचा प्रदान करना, मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान करना और नागरिकों का डिजिटली सशक्तिकरण।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विज़न भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए तीन प्रमुख परिकल्पनाएं निर्मित की गई हैं जबकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आधार के रूप में ये हैं :–

प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा – एक अच्छी तरह संयोजित राष्ट्र ही अच्छी सेवा प्रदान करने वाला राष्ट्र बन सकता है। दूरस्थ भारतीय ग्रामीण डिजिटल ब्राडबैंड और उच्चगति के इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हों, तभी हर नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाएं, लक्षित सामाजिक लाभ और वित्तीय समावेशन का तत्कालीन वितरण हो सकता है। डिजिटल इंडिया का प्रमुख ध्यान जिन क्षेत्रों पर केंद्रित है उनमें से एक ''प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा'' है। इस दृष्टि के तहत इसका एक महत्वपूर्ण घटक विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन वितरण की सुविधा के लिए उच्चगति इंटरनेट उपलब्ध कराना है। डिजिटल पहचान, वित्तीय समावेशन और आम सेवा केन्द्रों की आसान उपलब्धता को सक्षम करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। इसे ''डिजिटल लॉकर'' के साथ नागरिकों को प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसमें सार्वजनिक क्लाउड पर साझा किए जाने योग्य निजी स्पेस होगा और जहां सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को आसान ऑनलाइन पहुंच के लिए भंडारित किया जा सकता है। साथ ही साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की योजना भी बनाई गई है। इसके अन्तर्गत :–

- महत्वपूर्ण उपयोगिता के रूप में उच्च गति इंटरनेट को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- डिजिटल पहचान एकत्र करने की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल पहचान अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणित किए जाने योग्य होगी।
- मोबाइल फोन और बैंक खाते व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में प्रतिभागिता के लिए सक्षम होंगे।
- सभी नागरिकों को अपने इलाके में एक सामान्य सेवा केन्द्र के लिए आसान पहुंच उपलब्ध होगी।
- सभी नागरिकों को सार्वजनिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान के लिए आसान पहुंच प्रदान की जाएगी।
- संरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस बनाया जाएगा।

मांग आधारित शासन और सेवाएं – पिछले वर्षों में ई–शासन के युग में प्रवेश के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा कई पहल की गई। सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारत में ई–शासन का विकास नागरिक केन्द्रित, सेवा अभिविन्यास और पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण द्वारा किया गया है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) को एक सामूहिक दृष्टि से एकीकृत करने और देशभर में ई–शासन पहल पर समग्र दृष्टिकोण के लिए 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस विचार के आधार पर दूरदराज के गांवों में बड़े पैमाने पर देशभर में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, और इंटरनेट की आसान और विश्वसनीय पहुंच को सक्षम करने के लिए अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसकी स्थापना अपने क्षेत्र में आम आदमी के लिए सभी सरकारी सेवाओं को कियोस्को के माध्यम से सामान्य सेवा वितरण, आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर दक्षता और पारदर्शिता एवं इस तरह की सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करके सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अन्तर्गतः–

- सभी विभागों या अधिकार क्षेत्र में मूल एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- सेवाओं को ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक समय में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी नागरिकों के पात्रता संबंधी विवरणों को आसान पहुंच के साथ क्लाउड पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- वित्तीय लेन–देनों को इलेक्ट्रॉनिक और नकद रहित (कैशलेस) किया जाएगा।
- निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए भू–स्थानिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का इस्तेमाल किया जाएगा।
- डिलीटल सेवाओं में परिवर्तन द्वारा व्यापार कर की सुविधा में सुधार किया जाएगा।

नागरिक की डिजिटल अधिकारिता – डिजिटल कनेक्टिवटी बहुत सापेक्षिक स्तर पर है। जनसांख्यिकीय और सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में, डिजिटल नेटवर्क द्वारा भारतीय मोबाइल फोन और कंप्यूटर के माध्यम से एक–दूसरे के साथ तेजी से कनेक्ट हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ध्यान भी डिजिटल साक्षरता,

डिजिटल संसाधनों और सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत को डिजिटल सशक्त समाज में बदलने पर केन्द्रित है। इसके साथ ही यह यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता को भारतीय भाषाओं में प्रदान करने पर जोर देता है। इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं :–

- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
- डिजिटल संसाधनों की सार्वभौमिक सुलभता।
- डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता।
- सहभागिता पूर्ण शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफार्म।

चुनौतियां

डिजिटल इंडिया जैसे अद्वितीय व महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की रूपरेखा तो अद्भुत है लेकिन इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियां इसकी सफलता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं। इस कार्यक्रम की प्रमुख चुनौतियां हैं :–

सुरक्षा – स्वदेशी तकनीक आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सम्प्रभुता को बरकरार रखने वाले किसी भी डिजिटल प्रोग्राम का स्वागत होना चाहिए। लेकिन तकनीक के स्वदेशी विकास तथा विदेशी कंपनियों पर नियंत्रण के बगैर डिजिटल इंडिया का विस्तार न सिर्फ विनाशकारी होगा वरन् देश की सुरक्षा को भी कमजोर करेगा। डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु डाटा की सुरक्षा और स्टोरेज है। सभी बड़ी अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों के सर्वर भारत से बाहर हैं। यदि सर्वर भारत में लगाया जाए तो प्रति सर्वर औसतन एक हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा भारत में सर्वर होने से सुरक्षा एजेंसियों को अपराध नियंत्रण हेतु मदद मिलेगी और इन कंपनियों की भारत में कानूनी जवाबदेही भी बन पाएगी। इस खामी के चलते दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केन्द्र को सरकारी अधिकारियों के लिए नई ई–मेल पॉलिसी लानी पड़ी, जिसके अनुसार विदेशी इंटरनेट कंपनियों के सर्वर के माध्यम से सरकारी कार्यों के लिए ई–मेल का प्रयोग गैर–कानूनी है।

परंपरागत प्रशासन तंत्र – बदलाव में तकनीक की भूमिका एक औजार की होती है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तब होती है, जब उस तंत्र की सोच भी बदली जाए, जिसके हाथ में यह औजार पकड़ाया जा रहा है। बेशक, डिजिटल इंडिया के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे काफी आकर्षक भी हैं और महत्वपूर्ण भी। ई–अपाईंटमेंट से लेकर ई–लॉकर और ई–बस्ता से ई–स्वास्थ्य तक। समस्या इन योजनाओं में नहीं है, समस्या उस तंत्र को लेकर है, जिसके हवाले इन योजनाओं को कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया के नए सपने और प्रशासन का पुराना तंत्र, दोनों एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि परंपरागत प्रशासन–तंत्र सदैव स्वयं को यथास्थिति में ही रखना चाहता है तथा परिवर्तन का विरोध करता है।

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी – 1.3 अरब के देश में ब्रॉडबैंड की स्थिति विचारणीय है। दक्षिण कोरिया में जहां 97 प्रतिशत लोगों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच है वहीं भारत में अप्रैल 2015 तक करीब 10 करोड़ लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड सेवा है। वर्तमान में भारत इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में 129वें स्थान पर है और इंटरनेट की औसत स्पीड के मामले में 115वें स्थान पर। इसके साथ ही भारत में 1.2 ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं महज 100 लोगों की आबादी पर जहां विश्व में इसका औसत 100 पर 9.4 है। उल्लेखनीय है कि भारत का नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम वैसे ही पीछे चल रहा है। जबकि उम्मीद यह की जा रही है कि 2017 तक ब्रॉडबैंड सेवा ऐसी करनी है कि हर घर को अधिकतम एमबीपीएस तक ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी मिले।

मोबाईल नेटवर्क – आज भी देश में 55,619 हजार ऐसे गांव हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है। ऐसे में इन लोगों को डिजिटल इंडिया का लाभ कैसे मिलेगा जबकि यह कार्यक्रम मोबाईल गवर्नेंस पर ही मुख्य रूप से आधारित हैं। देश में 95 करोड़ के करीब मोबाइल यूजर्स हैं लेकिन इनमें से केवल 21 करोड़ उपभोक्ता ही मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और वो भी धीमी स्पीड की वजह से परेशान हैं।

इलेक्ट्रिसिटी – सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि देश में अभी 28 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है। कुछ आंकड़े तो इसे 35–40 करोड़ के आसपास बताते हैं। साथ ही छोटे शहर कटौती से परेशान हैं। सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक 2015–16 में 24,077 मिलियन यूनिट एनर्जी शार्टेज हो सकती है अर्थात् यह कमी आगे भी बनी रहेगी। जबकि सरकार इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम चला रही है। इसके लिए सरकारी इंटरनेट सेंटर खोले जाएंगे और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ई–सर्विसेज की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन जब देशभर में बिजली की भारी कमी रहेगी तो ये सेंटर संचालित कैसे हो पाएंगे।

स्पेक्ट्रम – एक लाख करोड़ रुपये की ताजा नीलामी के बाद भी स्पेक्ट्रम की कमी है। सिंगापुर, शंघाई और दिल्ली में बराबर 3जी ग्राहक हैं, लेकिन दिल्ली में इनके मुकाबले 10 प्रतिशत स्पेक्ट्रम हैं। वैसे ही देश में ट्रैफिक कन्जेशन और कॉल ड्रॉप की समस्या है। यूजर बढ़ने, वीडियो एप्लीकेशन्स, नेविगेशन, शॉपिंग, बैंकिंग व कम्युनिकेशन सर्विसेज का अधिक इस्तेमाल होने से समस्या और बढ़ेगी।

इम्पोर्ट – सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कलपुर्जों का आयात शून्य करना चाहती है। लेकिन यह काफी मुश्किल काम है क्योंकि हम अपनी जरूरत के 65 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आयात करते हैं जिसे शून्य तक लाना बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग 22 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ती जा रही है और इसके 2020 तक 400 अरब डालर तक पहुँचने की उम्मीद है।

डिजिटल इंडिया की अगली चुनौती और भी बड़ी है। यह चुनौती है पूरे देश को इस योजना से जोड़ने की। यानी इस योजना को समावेशी बनाने की। मौजूदा रूप में तो डिजिटल इंडिया जैसी योजना स्मार्ट सिटी के अलावा देश के नगरों में काफी कुछ लागू हो सकती है। लेकिन इसके आगे की राह बहुत कठिन होगी। इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, जो अब भी निरक्षर हैं? और शिक्षा के अधिकार के बावजूद उनकी अगली पीढ़ी डिजिटल इंडिया के उपयोग लायक साक्षर बन पाएगी, इसकी बहुत उम्मीद नहीं बंधती।

इसके अलावा डाटा संग्रहण, रोजगार सृजन, सूचना तंत्र की सुरक्षा एवं जवाबदेही, राष्ट्रहित का संरक्षण, देश में सर्वर की स्थापना एवं टैक्स की वसूली जैसे मूलभूत मुद्दे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में खड़े हुए हैं जिन पर बहस एवं निर्णय किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं तो यह हमारे लिए नई तरह की समस्याओं को उपस्थित करेगा।

अन्ततः डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की हमें जरूरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसके जरिए दुनिया के विकसित देशों की बराबरी करें, बल्कि इसके जरिए हम अपने तंत्र को बदल सकें। ऐसी योजना, जो हमारे तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था को परिष्कृत नहीं कर सकती वह कितनी भी बड़ी और आधुनिक क्यों न हो, अंत में हमें कहीं नहीं ले जाएगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तभी सार्थक हो सकता है, जब वह सिर्फ कुछ सुविधा सम्पन्न लोगों तक सीमित न रह जाए, बल्कि सभी लोगों के लिए समाधान का जरिया बने। तभी यह अपनी शक्ति से सशक्तिकरण के सूत्र वाक्य के साथ–साथ अपने विज़न भारत को डिजिटली सशक्त और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर पाएगा।

संदर्भ

- www.digitalindia.gov.in/hi/blogs
- www.digitalindia.gov.in/hi/content/about-programme
- www.digitalindia.gov.in/hi/content/vision-and-vision-areas
- http://www.digitalindia.gov.in
- http://www.mygov.in
- http://data.gov.in
- http://egovstandards.gov.in
- indianexpress.com/article/india/india-others/cabinet-clear-digital-india-programmeè
- www.thehindubusinessline.com/opinion/editorial/digital-dreams/article7271634.ece
- विराग गुप्ता, डिजिटल इंडिया में राष्ट्रहित न भूलें, दैनिक भास्कर, 1 जुलाई, 2015
- हिन्दुस्तान (दैनिक), नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015
- हरजिंदर, नए सपने पुराने तंत्र के हवाले, हिन्दुस्तान (दैनिक), 2 जुलाई 2015
- दैनिक भास्कर, 5 जुलाई, 2015

(लेखिका राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लोक प्रशासन विभाग में शोध छात्रा हैं।)

ई–मेल : ms.sunita.choudhary02@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

वित्तीय समावेशन का नया मंत्र जैम त्रेः

—डॉ. अश्विनी महाजन

जन-धन योजना, आधार नंबर और मोबाईल बैंकिंग, इन तीनों के सम्मिश्रण से लागू वित्तीय समावेशन को जेएएम, यानी जैम त्रेः का नाम दिया गया है। यानी जन-धन योजना के माध्यम से शून्य बैलेंस बैंक खाते खोलना, उसको आधार नंबर और मोबाईल से जोड़कर बीमा, खाद्य सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, खाद सब्सिडी इत्यादि की सुविधाएं आसानी से, कम लागत पर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि देश के वित्त की मुख्यधारा से कटे गरीबों को जोड़ने की कोशिश जैम त्रेः मंत्र के माध्यम से की जा रही है, जो एक सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। साथ ही सरकारी धन की चोरी भी इससे रुकेगी, ऐसा माना जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शासन सूत्र संभालने के बाद जीरो बैलेंस खाते की किसी नई अवधारणा को प्रतिपादित किया। वास्तव में यह व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी, लेकिन नई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इसे अभियान रूप में लिया और नई तकनीकों का लाभ उठाते हुए जन–धन योजना को 'आधार' और 'मोबाईल' के साथ जोड़ते हुए जैम त्रेः का एक नया सूत्र प्रतिपादित करने में सफलता प्राप्त की।

केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के सत्ता संभालने के बाद, सरकार के कुछ कदम जिन्हें खासी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उसमें से एक वित्तीय समावेशन हेतु किए गए उसके प्रयास हैं। इस संबंध में सरकार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय कदम जन–धन योजना का था। इस योजना के अंतर्गत सभी के लिए शून्य बैलेंस बैंक खाते खोलने का प्रावधान किया गया। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि सभी इच्छुक व्यक्तियों के बैंक खाते खोले जाएं, जिसमें बैंक में पहले से पैसा जमा करने का कोई आग्रह न हो, यानी शून्य बैलेंस के साथ भी नए खाते खोले जाएं।

शून्य बैलेंस के बैंक खाते खोलने का प्रावधान कोई नया नहीं था, फिर भी नई बात यह थी कि बैंकों को इस संबंध में निर्देशित किया गया था कि वे किसी नए खाते के लिए मना न करें। दिसम्बर 2014 में प्रारंभ इस योजना में अभी तक 15 करोड़ से भी ज्यादा शून्य बैलेंस के खाते खुल चुके हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसका बैंक खाता पहले से न हो, यदि खुल जाए तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, वह भी जब उस बैंक खाते में पहले से कोई राशि जमा करने की कोई शर्त न हो। वित्तीय समावेशन की बात कई सालों से होती रही है, लेकिन

इतने बड़े पैमाने में बैंक खाते खुलना वास्तव में स्वागत योग्य कदम है।

इसके अलावा वित्तीय समावेशन के लिए सरकार का बड़ा कदम 'मुद्रा' बैंक की स्थापना है। 20,000 करोड़ रुपये की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव बजट 2015–16 में किया गया। अपेक्षा है कि 'मुद्रा' बैंक सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, जो ऐसी छोटी कारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं, को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से संचालित और पुनर्वित्तपोषण (री–फाइनैंस) करेगा। उधार देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। सरकार का दावा है कि ये उपाय युवा, शिक्षित अथवा कुशल श्रमिकों का भरोसा बढ़ाएंगे जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे। कहा जा सकता है कि एक ओर तो सरकार वित्तीय समावेशन के उपायों से बिना बैंक खाते वालों का खाता खोल रही है, दूसरी ओर ऐसे लोग जिनको सामान्य बैंकिंग चैनल से उधार या तो मिलता नहीं है, या मुश्किल से मिलता है, को उधार उपलब्ध कराकर उनका सशक्तीकरण कर रही है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यूं तो सरकारी स्कीमों में भारी–भरकम पैसा खर्च होता है, इन दोनों उपायों में सरकार का खर्च लाभों के अनुपात में कहीं कम है। रोजगार के नाम पर रोजगार गारंटी योजना के तहत जहां लगभग 35–40 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च होते हैं, तो भी अल्पकालिक रोजगार ही उपलब्ध हो पाता है। मुद्रा बैंक की स्थापना से लोगों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है।

बैंक खाते खुलने के सबब

कुछ लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि शून्य बैलेंस वाले करोड़ों खाते खुलने का कोई मतलब नहीं, यदि उसमें लेनदेन न हो। जिनके खाते खुले हैं, उनके पास जमा करने के लिए पैसा न हो; सैद्धांतिक रूप से यह बात सही हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बात सही नहीं है।

एक, बैंकिंग एक आदत का नाम है। सामान्य तौर पर बैंक खाता खुलने के बाद तुरंत लोग वहां नहीं जाएंगे। उनको बैंक में जाने की आदत धीरे–धीरे बनेगी। सामान्य तौर पर बैंक खाता नहीं होने पर लोग अपना पैसा इधर–उधर रख देते हैं, जिसकी चोरी होने, नष्ट होने, छिनने या गलत कामों के लिए उपयोग होने की संभावना सर्वाधिक होती है। बैंक खाता होने पर, व्यक्ति उसमें जमा करने की ओर प्रवृत्त होगा, इसमें संदेह नहीं। यही कारण है कि जन–धन योजना के लागू होने के कुछ समय बाद ही इन नए शून्य बैंलेंस खातों में 15,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं।

दूसरे, अभी तक बीमा से लगभग अछूते गरीब और वंचितों के लिए बिना कागजी फार्म भरे, आसानी से, कम लागत पर बीमा उपलब्ध करना भी इसी जन–धन योजना से संभव हो पाया है। मात्र 12 रुपये वार्षिक में दुर्घटना बीमा और 330 रुपये में जीवन बीमा की सुविधा भी जन–धन योजना के अंतर्गत खुले इन खातों से ही संभव हो पाई है। वास्तव में गरीब को बीमा की सुविधा भी वित्तीय समावेशन का दूसरा नाम है।

तीसरे, सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को सस्ते में उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए बजट में धन भी उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में मुख्य समस्या यह है कि यह लागत क्षम नहीं है। यानी इस सब्सिडी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में अत्यधिक लागत आती है। उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी। लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना यह सरकार की जिम्मेदारी है, जो खाद्य सुरक्षा कानून द्वारा भी सुनिश्चित की गई है। अभी तक का अनुभव यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा एक रुपया सस्ता अनाज अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में सरकार को 3.85 रुपये की लागत आती है, यानी गरीब को एक रुपये का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार को लगभग 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जन–धन योजना के माध्यम से खुले बैंक खातों के खुलने और उसे आधार कार्ड से जोड़ने से यह संभव हो गया है कि खाद्य सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में जमा कर दिया जाए और वो बाजार से सस्ता अनाज खुद ही खरीद ले। यानी एक चौथाई लागत पर उतनी ही खाद्य सुरक्षा कैश सब्सिडी के माध्यम से संभव है, जो शून्य बैलेंस खाते से ही संभव हुआ है।

यही नहीं किसान को सस्ती खाद उपलब्ध कराने का काम भी सब्सिडी के माध्यम से किया जाता है। खाद की सब्सिडी रसायनिक उवर्रक बनाने वाली कंपनियों को दी जाती है, ताकि वे सस्ता उवर्रक बनाकर किसान को उपलब्ध करा सकें। लेकिन देखने में आया है कि किसान को सस्ती खाद नहीं मिलती, हां कंपनियों के लाभ जरूर बढ़ जाते हैं। दूसरे, रसायनिक उवर्रकों के कारण, सैन्द्रिय खाद का इस्तेमाल नहीं बढ़ पाता। लेकिन यदि खाद की सब्सिडी किसान के खाते में प्रत्यक्ष अंतरित हो जाती है तो किसान अपनी मर्जी से जिस प्रकार की खाद चाहिए वो खरीद सकता है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कालेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : ashwanimahajan@rediffmail.com

वित्तीय समावेशन के लिए जागरुकता जरूरी

—सौरभ कुमार

आज हमारे सामने वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी चुनौती इसके ग्रामीण क्षेत्रों को शत-प्रतिशत कवर करने को लेकर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना सफल अवश्य हो रही है किन्तु इसका वास्तविक लाभ मिलने में बाधाएं भी आ रही हैं। सिर्फ खाता खोलना और उसके साथ ए.टी.एम. कार्ड पाना काफी नहीं या वित्तीय समावेशन का लाभ नहीं है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना और उसके बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। और इन जागरुकता कार्यक्रमों को पंचायतों से जोड़ने की भी जरूरत है। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन की अवधारणा में 'स्मार्ट कस्टमर' की भी परिकल्पना की गई है।

जन–धन योजना के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ यह मानते हुए किया गया है कि इससे वंचितों को वित्तीय सेवा तंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यह एक कारगर और सराहनीय पहल है। देश में सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और देश की घरेलू बचत का राष्ट्रीय स्तर पर लाभ लेने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2014 को इस राष्ट्रव्यापी जन–धन योजना की शुरुआत की गई जिसमें करीब 7.5 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया। हालांकि यह योजना लक्ष्य से काफी आगे निकल चुकी है और जुलाई 2015 तक करीब 17 करोड़ लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। किन्तु साथ ही जब हम ग्रामीण भारत की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करते हैं या ज़मीनी स्तर पर होने वाली स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तो हमें कई तरह की सच्चाइयां नजर आती हैं।

आज हमारे सामने वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी चुनौती इसके ग्रामीण क्षेत्रों को शत–प्रतिशत कवर करने को लेकर है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना सफल अवश्य हो रही है किन्तु इसका वास्तविक लाभ मिलने में बाधाएं भी आ रही हैं। सिर्फ खाता खोलना और उसके साथ ए.टी.एम. कार्ड पाना काफी नहीं या वित्तीय समावेशन का लाभ नहीं है। यदि हम भारत की वैश्विक आर्थिक–सामाजिक गतिविधियों के साथ तुलनात्मक रूप में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति वास्तव में कमजोर प्रतीत होगी।

भारत के 6 लाख से अधिक गांवों व बढ़ती आबादी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज देश के कई गांव वित्तीय सेवाओं की पहुँच से दूर हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन की अवधारणा में 'स्मार्ट कस्टमर' की भी परिकल्पना की गई है। स्मार्ट कस्टमर का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो वित्तीय सेवाओं का लाभ ले

रहा है वह न केवल संस्थागत प्रक्रियाओं को समझे बल्कि उसके विषय में अपनी राय भी बनाए और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सेवाओं की पहचान कर सके तथा उसका लाभ भी ले सके। इस दिशा में देश के ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ी अवस्था में हैं। कई सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल इस वजह से अपेक्षानुरूप सफल नहीं हो पाती हैं या असफल हो जाती हैं क्योंकि इनके विषय में जनता जागरूक नहीं है। वित्तीय समावेशन को लेकर भी यही स्थिति है। एक सबसे अहम बात यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण स्रोतों का भारी अभाव अब भी है। इसकी वजह से ग्रामीणों के बीच वित्तीय समावेशन की जागरुकता की आवश्यकता और भी प्रबल हो जाती है। हालांकि वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास देश में काफी पहले से हो रहे हैं। इसी दिशा में एक अहम् प्रयास था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नाबार्ड का गठन आदि।

वित्तीय समावेशन के लिए पूर्व में किए गए कार्य

2 अक्टूबर, 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे भी दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को बेहतर बैंकिंग, वित्तीय व ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था जहां पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। इन बैंकों का एक लक्ष्य ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादक गतिविधियों में लगाना भी था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कार्यरत हैं। आरम्भ में ग्रामीण बैंक कुछ लक्षित समूहों को ही अपनी सेवाएं देते थे किन्तु 22 मार्च, 1997 के बाद से ये लक्ष्य समूह के बाहर के लोगों को भी ऋण देने लगे और उन्हें दिए गए उधार को प्राथमिकता तथा अन्य श्रेणी के ऋणों में रखा गया।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख व्यवसाय कृषि में ऋण प्रवाह की धारा को तीव्र करने के प्रयासों के तहत ही 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक) का गठन किया गया। इसके अलावा सरकार ने नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को भी बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया,जिससे अधिकतम कृषकों की ऋण आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है। इसके द्वारा अनेक वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये संस्थाएं हैं–राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करता है। इन मायनों में वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका और भी बढ़ जाती है।

वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक सूक्ष्म वित्त भी है। भारत में पिछले दो दशक से सूक्ष्म वित्त की अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चाएं हुई हैं। सूक्ष्म वित्त को बांग्लादेश में 2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद युनुस ने काफी लोकप्रिय बना दिया है। भारत में भी इसका व्यापक महत्व है। सूक्ष्म वित्त एक प्रकार से लघु ऋण है इसके तहत गरीब और वंचित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत वैसे लोग पात्र होते हैं जिनके पास बैंक में जमानत रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। भारत में सूक्ष्म ऋण की शुरुआत नब्बे के दशक के मध्य से हुई है। इस काल में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त से जुड़े स्वयंसहायता समूह, सूक्ष्म वित्त संस्थान और स्वरोजगार महिला संघ आदि को विभिन्न बैंकों के माध्यम से वैधानिक ऋण दिलाना शुरू किया। केंद्र सरकार ने इस अवधारणा को और भी सशक्त, पारदर्शी बनाने और कुशल प्रबंधन के लिए 20 मार्च, 2007 को लोकसभा में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (विकास और नियमन) विधेयक 2007 पेश किया। सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में नाबार्ड को शीर्ष संस्थान बनाया गया है। सूक्ष्म वित्त की श्रेणी में पचास हजार रुपये तक की ऋण राशि को शामिल किया जाता है, आवास के मामले में यह डेढ़ लाख रुपये तक है। देश में पूर्व की गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों ने बेहतर परिणाम प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में गरीबी उन्मूलन योजनाओं और सामजिक कल्याण नीतियों की तुलना में सूक्ष्म वित्त बेहतर भूमिका निभा सकता है यदि इसका क्रियान्यवयन बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो।

वित्तीय समावेशन का एक अन्य घटक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी है। कृषकों को कृषि क्षेत्र से विमुख होने से रोकने और साहूकारों की उच्च ब्याज दरों के ऋण के जाल से बचाने के लिए उन्हें अल्पकालीन सुविधापूर्ण ऋण प्रदान करने हेतु 1998 में किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ किया। रिज़र्व बैंक के अनुसार 2009–10 तक 3 करोड़ 50 लाख 80 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे। इसके तहत अल्पकालीन ऋण सुविधाजनक तरीके से मुहैया कराया जाता है। इससे किसानों को अत्यल्प कम ब्याज दरों पर सस्ता ऋण मुहैया कराया जा रहा है, समय पर ऋण भुगतान करने वाले कृषकों को मात्र 4 प्रतिशत का ब्याज देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिए जाते हैं। साथ ही बैंकों के द्वारा दिए गए ये ऋण प्राथमिक क्षेत्र के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जोखिमों के विकल्प के रूप में फसल बीमा योजना को भी लागू किया गया। इस प्रक्रिया व नीति से निश्चित रूप से किसान अपनी ऋण आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वित्त व्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त करेंगे।

प्राथमिक साख समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है। वित्तीय समावेशन की दिशा में यह भी एक बेहतर प्रयास है। एक गांव या कई क्षेत्र के लोग मिलकर कम से कम दस व्यक्तियों का समूह बनाकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। इन समितियों को प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) भी कहते हैं। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण करीब एक वर्ष के लिए या विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष के लिए देती है। ये समितियां जिला सहकारी बैंक के सदस्य होते हैं। तथा ये बैंक ही उन्हें आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते हैं। राज्य–स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं जो राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण ऋण व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए ग्रामीण ऋण व्यवस्था सर्वप्रमुख घटक है क्योंकि अधिकतर ग्रामीणों के लिए वित्तीय सेवा का मतलब ही ऋण से लगाया जाता है। किन्तु इतने प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतया या अपेक्षानुरूप वित्तीय समावेशन की प्रगति खासकर ऋण प्रवाह के संस्थागत तंत्र के रूप में नहीं पाई जा सकी है। आज भी अधिकांश ग्रामीण पारंपरिक ऋण स्रोतों से महंगे ऋण लेने पर बाध्य हैं। इसका कारण एक तो संस्थागत तंत्रों में लम्बी कागजी प्रक्रिया है तो दूसरी ओर ग्रामीणों का एक बड़ा वर्ग इन योजनाओं और कार्यक्रमों से अनभिज्ञ है। अधिकतर ग्रामीण तो अपने सामान्य अधिकारों को नहीं जानते जोकि एक नागरिक होने की हैसियत से उन्हें भारतीय संविधान ने प्रदान किया है, तो वित्तीय अधिकारों के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी जागरुकता और ज्ञान के अभाव में वे उपयुक्त नीतियों और योजनाओं से लाभ नहीं ले पाते हैं। इस तरह की समस्या के निवारण होने पर ही ग्रामीण ऋण व्यवस्था का उचित और वास्तविक लाभ ग्रामीणों को प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए हमें जागरुकता व शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देना होगा तथा स्कूली पाठ्यक्रमों में भी वित्तीय शिक्षा के अध्याय को शामिल करना होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरुकता कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों से जोड़ने की जरूरत है ताकि इसके माध्यम से हम ग्राम पंचायत सशक्तीकरण का लाभ भी उठा पाएं। एक शब्द में कहे तो वित्तीय समावेशन के साथ ही ग्रामीणों की ऋण आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। 2008 में वित्तीय समावेशन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन ने वित्तीय समावेशन को परिभाषित करते हुए कहा था कि कम आय व कमजोर वर्गों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक ससमय एवं सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। इससे हम उन्हें बेहतर ऋण सुविधा प्रदान कर पाएंगे और उनकी बचत दर को बढ़ाने के लिए जागरूक कर राष्ट्रीय विकास में सहभागी बना पाएंगे। ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापों और कृषि क्षेत्र के तमाम जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इसकी वित्तीय व आर्थिक जरूरतों यथा–संसाधनों की खरीद, विपणन आदि का सकारात्मक हल वित्तीय समावेशन की व्यापक व विस्तृत अवधारणा के साथ सही तरीके से लागू करने का विकल्प तलाशा जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे आवश्यकताएं शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होती हैं और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो वित्तीय सेवाओं की पर्याप्तता या उनकी विविधता के साथ ग्रामीण समाज का जुड़ाव उतनी तीव्रता या पूर्णतः नहीं हो पाता है। अतः जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित और अनिवार्य वित्तीय सेवाओं को जारी किया जाए। धीरे–धीरे उनकी मात्रा और तीव्रता बढ़ाई जाए। किन्तु इसके साथ जनता को जागरूक करने के प्रयास की तीव्रता को बढ़ाने की जरूरत है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी अनदेखी या अपर्याप्त ध्यान वित्तीय समावेशन की दशा और इसकी आगे की राह को अवरुद्ध कर सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : sauravkumar19@gmail.com

राष्ट्रीय कृषि बाजार सभी वर्गों के लिए फायदेमंद

एनएएम एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना है। एनएएम के पीछे स्थानीय कृषि उपज मंडी रहेगी।

एनएएम से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मण्डी पहले की भांति काम करती रहेगी। एनएएम से जुड़ कर कोई भी कृषि उपज मण्डी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मण्डी में लाते हैं तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ–साथ इन्टरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प व व्यवस्था होगी। जहां बेहतर भाव मिलेंगे, किसान वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाजार पर आयोजित एक सम्मेलन में यह जानकारी दी कि 'राष्ट्रीय कृषि बाजार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मण्डी क्षेत्र बने, जिसमें किसी भी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कृषि उत्पाद की आवाजाही तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो। इसका सीधा लाभ कृषकों, व्यापारियों तथा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद का व्यापार किसानों को बेहतर दाम देगा, वहीं व्यापारियों को भी अधिक अवसर मिलेगा। यह सब करते समय स्थानीय कृषि उपज मण्डी के हित को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा व्यापार उसके माध्यम से ही होगा।'

'एनएएम के लिए इंटरनेट व्यापार को पोर्टल विकसित किया जाएगा एवं देश की सभी कृषि उपज मण्डी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ कृषि उपज मण्डी के कर्मचारियों व व्यापारियों को प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना आदि के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कृषि उपज मण्डी इस व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए सक्षम हो।'

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि उपज मण्डी के राष्ट्रीय बाजार नेटवर्क से जुड़ने से पूर्व उस राज्य के मण्डी अधिनियम में 3 प्रावधान होना जरूरी हैं–

- राज्य मण्डी अधिनियम में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का प्रावधान होना चाहिए।
- राज्य मण्डी अधिनियम में भारत के अन्य राज्यों के व्यापारियों को लाइसेंस देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि वे किसी भी मण्डी में एनएएम के माध्यम से कृषि व्यापार प्रक्रिया में भाग ले सकें।
- मण्डी अधिनियम में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि केवल एक लाइसेंस लेकर व्यापारी प्रदेश की सभी मंडियों में व्यापार कर सकता है तथा मण्डी शुल्क एक स्थान पर अदा किया जा सकता है।

श्री सिंह ने कहा कि "राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे कि इससे जुड़े हर वर्ग को लाभ मिले। किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से कृषि उत्पाद के विक्रय में अधिक दाम मिलने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद बेचने के मौके मिलेंगे। थोक व्यापारियों को, चावल, दाल, दलहन, मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यमों से दूर स्थित मण्डी से कृषि उत्पाद खरीदने का मौका मिलेगा। ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगी एवं मूल्य भी स्थिर रहेगा। बड़े पैमाने पर खरीदारी होने से गुणवत्ता तथा उत्पाद खराब होने का अनुपात भी कम होगा। देश की सभी मण्डियों के धीरे–धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जुड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार विकसित होगा। इसके फलस्वरूप देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा होगी।"

कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि–तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ) के जरिए राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) इसे पूरे देश में चयनित विनियमित बाजारों में तैनाती योग्य आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण द्वारा लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से स्थापित करेगा। इसके तहत वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 की परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

किसान और व्यापारी देशभर में पारदर्शी तरीके से इष्टतम दामों पर कृषि पदार्थों की खरीद/बिक्री कर सकें, इसके लिए 585 विनियमित बाजारों को आम ई–मंच के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए निजी बाजारों को भी इस तरह से ई–मंच के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगी। योजना के तहत राज्यवार आवंटन का विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि, इच्छुक राज्य को आवश्यक कृषि विपणन सुधारों को इस्तेमाल में लाने के लिए पूर्व अपेक्षित मांगों को पूरा करने की जरूरत होगी।

एसएफएसी कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई–बाजार का विकास करने के लिए अगुवा एजेंसी होगी और यह खुली बोली (ओपन बिडिंग) के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करेगी। एक उपयुक्त आम ई–बाजार मंच की स्थापना की जाएगी जो राज्य/संघ प्रशासित केंद्रों में ई–मंच से जुड़ने को इच्छुक चयनित 585 विनियमित थोक बाजार में तैनाती योग्य होगा। एसएफएसी 2015–16, 2016–17 और 2017–18 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ई–प्लेटफॉर्म को तीन चरणों में लागू करेगा। डीएसी राज्यों के लिए सॉफ्टवेयर और इसके अनुकूलन पर हो रहे खर्च को पूरा करेगी और इसे राज्य और संघशासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। डीएसी ई–विपणन मंच की स्थापना के लिए, 585 विनियमित बाजारों में, संबंधित उपकरण/बुनियादी ढांचे के लिए प्रति मंडी 30 लाख रुपये तक की अंतिम सीमा में एक बार तय की गई लागत के रूप में अनुदान भी देगी। बड़ी और निजी मंडियों को भी प्राइस डिस्कवरी (यानी मूल्य निर्धारण) के उद्देश्य के लिए ई–मंच के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें उपकरण/बुनियादी ढांचे के लिए किसी भी तरह के धन से मदद नहीं की जाएगी।

ई–मंच के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को (i) पूरे राज्य में वैध एकल लाइसेंस, (ii) बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी मूल्य और (iii) प्राइस डिस्कवरी के लिए एक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रावधान के रूप में ये तीन पूर्व सुधारों को अपनाने की जरूरत होगी। परियोजना के तहत सहयोग पाने के लिए केवल वही राज्य और केंद्रशासित प्रदेश योग्य होंगे जो इन तीन पूर्व अपेक्षित मांगों को पूरा करेंगे।

ई–विपणन मंच का उद्देश्य कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देना होना चाहिए और देश भर में कृषि पदार्थों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा किसानों की संतुष्टि को अधिकतम करना भी होना चाहिए क्योंकि इससे किसान के उत्पादन के विपणन की संभावनाएं काफी बढ़ेंगी। उसकी विपणन संबंधी सूचनाओं तक बेहतर पहुंच होगी और उनके पास अपने उत्पादों की बेहतर कीमत पाने के लिए ज्यादा कुशल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी विपणन का मंच होगा जो पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए राज्य के भीतर और बाहर भी बड़ी संख्या में खरीददारों तक उनकी पहुंच बनाएगा। इससे किसानों की गोदाम आधारित बिक्री के जरिए बाजार तक पहुंच में भी बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार मंडी तक अपने उत्पादों को भेजने की जरूरत नहीं रहेगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

अगर 20वीं सदी ने भारत के अग्रणीय तकनीक संस्थानों–आईआईटी को वैश्विक नाम अर्जित करते देखा है तो 21वीं शताब्दी के लिए यह अपेक्षित है कि आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) गुणवत्तायुक्त कुशल मानवशक्ति तैयार करने के लिए वैश्चिक मान्यता अर्जित करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के लिए कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है। प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं को नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योग वातावरण की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति–2015 को जारी किया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना की भी विधिवत शुरुआत की।

इससे पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 1 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को संस्थागत ढांचा प्रदान करने को मंजूरी दे दी थी। इस संदर्भ में 2015–16 के बजट भाषण में ही प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य–स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 को भी अपनी मंजूरी दे दी। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करती है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्रीय नीति का निरूपन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया था और नीतिगत प्रारूप को उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए पांच साल बाद समीक्षा का प्रावधान किया गया था। इस नीति का विज़न है ''उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तीकरण की व्यवस्था तैयार करना और उद्यमिता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, जो देश में सभी नागरिकों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए धन एवं रोजगार का सृजन कर सके।''

इस विज़न को प्राप्त करने के लिए नीति के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव, आदि सहित कौशल संबंधी प्रमुख बाधाओं को दूर करती है। इतना ही नहीं, नीति वर्तमान खामियों को दूर करते हुए, उद्योग से संबंध को बढ़ावा देते हुए, गुणवत्तापूर्ण भरोसेमंद प्रारूप के परिचालन,प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के व्यापक अवसरों को बढ़ावा देते हुए कौशलों के लिए आपूर्ति एवं मांग को व्यवस्थित रखती है। नीति में निष्पक्षता पर ध्यान दिया गया है, जो सामाजिक/भौगोलिक रूप से हाशिये पर रहने वालों और वंचित वर्गों के लिए कौशल अवसरों पर लक्षित करती है। महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। उद्यमिता के क्षेत्र में, नीति में महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायर के भीतर और बाहर संभावित उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ बनाने की बात कही गई है। इसमें उद्यमियों को परामर्शदाताओं, सहायकों और ऋण बाजारों से जोड़ने, नवाचार एवं उद्यमिता संस्कृति को प्रोत्साहन देने, कारोबार करने को और ज्यादा सुगम बनाने तथा सामाजिक उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा दिया जाना भी शामिल है।

(पसूका से साभार)

वित्तीय समावेशन की राह की मुश्किलें

—सतीश सिंह

मौजूदा समय में वित्तीय समावेशन के तहत खोले गए निष्क्रिय हो चुके खातों की वजह से बैंकों के परिचालन खर्च में हुए इजाफे की प्रतिपूर्ति, कारोबारी प्रतिनिधियों के मानदेय की व्यवस्था, बैंक की तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना, मानव संसाधन की किल्लत, जॉब नॉलेज को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि ऐसे कार्य हैं, जिन्हें पूरा करना बैंकों के लिए आसान नहीं है। एक अनुमान के अनुसार, वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने के लिए लगभग 5 लाख कारोबारी प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिन्हें आकर्षक मानदेय देने की व्यवस्था करना पहले से ही पूंजी की कमी से जूझ रहे बैंकों के लिए आसान नहीं होगा।

भारत एक समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश है, लेकिन अभी भी देश के 41 प्रतिशत परिवार औपचारिक बैंकिंग सुविधा से महरूम हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी आबादी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महाजनों पर निर्भर है। ऐसी आबादी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित है। ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों के लोगों का बैंक में खाता नहीं होने के कारण चोरी, लापरवाही, गलत आदत आदि के कारण उनकी जमापूंजी के चोरी या खोने की आशंका रहती है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह उन सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए, जहां मूलभूत आवश्यकताओं एवं बुनियादी ढांचे का अभाव है। इस नजरिए से देखा जाए तो बैंकिंग सुविधा से महरूम लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को 'वित्तीय समावेशन' कहा जा सकता है।

क्यों आवश्यक है वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन ही वह प्रक्रिया है, जिसकी मदद से सरकार अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आबादी की अधिकता के कारण सभी को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलना संभव नहीं है, जिसके कारण गांव की आबादी या तो शहर पलायन कर रही है या खेती–किसानी का काम कर रही है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में छदम रोजगार की स्थिति बनी हुई है। अर्थात, जहां 2 लोग खेतीबाड़ी करने के लिए काफी हैं, वहां 8 लोग उसी काम को कर रहे हैं। ऐसे माहौल में लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आमदनी सीमित हो जाती है, जिसके कारण वे खुद एवं अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे गरीबी, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य जनित समस्याओं का संचार होता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के

मुताबिक जनवरी, 2015 में लगभग 30 करोड़ भारत की आबादी गरीबी से जूझ रही थी। ऐसे लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं से महरूम थे। भारत समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश है। इसलिए, सभी के लिए बुनियादी सुविधा एवं जीवनयापन हेतु आवश्यक तंत्रों को मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान में गरीबों के कल्याण के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। सभी परिवारों को बैंक से जोड़ने पर गरीबों को सरकारी योजना का लाभ सीधे तौर पर बिना बिचौलिये के हस्तक्षेप के मिल सकता है। ऐसे लोगों को सरकार ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सबल बना सकती है।

वित्तीय समावेशन के फायदे

बैंक में खाता होने के अनेक फायदे हैं। मौजूदा समय में गरीबों के उत्थान के लिए सरकार अनेक सामाजिक योजनाओं को चला रही है। हाल ही में सरकार ने कुछ सामाजिक योजनाओं यथा, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सहकारी बैंक आदि की स्थापना की है। इधर, बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस क्रम में मुद्रा बैंक की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य ठेले व खोमचे वाले, रेहड़ी लगाने वाले आदि को कर्ज मुहैया कराना है। कृषि के विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के साथ–साथ मध्यम एवं लंबी अवधि के मियादी ऋण दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना आदि की मदद से सरकार ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगारी बनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को तभी मिल सकता है, जब उनका बैंक में खाता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नकदी का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। अक्सर किसानों के घर से नकदी की चोरी हो जाती है या उनके परिवार के पुरुष सदस्य बुरी संगत में पड़कर में घर की पूंजी उड़ा देते हैं। पशु, खाद व बीज खरीदने के लिए किसान को समय–समय पर गांव के पास या दूर के बाजारों में जाना होता है, जिसमें उनकी गाढ़ी कमाई के खोने का जोखिम रहता है। जाहिर है, बैंक में खाता होने से ग्रामीण रुपे किसान कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, जीवन व दुर्घटना बीमा, पेंशन आदि की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बैंक में खाता खुलने से गरीब व मेहनतकश लोग कर्ज एवं नकद सब्सिडी का भी लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार, सिर्फ वित्तीय समावेशन के सपने के साकार होने से देश की आर्थिक गतिविधि में तेजी, विकास दर में इजाफा, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना आदि संभव हो सकता है।

वित्तीय समावेशन की डगर कैसे हो आसान

वित्तीय समावेशन योजना को अमलीजामा पहनाने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अहम भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर मुथूट फिनकॉर्प, जो एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी है, का करीब 10 लाख ग्राहकों का आधार है, जबकि बंधन, जो 23 अगस्त से अपना बैंकिंग कारोबार शुरू करने वाला है के पास 65 लाख ग्राहकों का आधार है, जो मुख्य तौर पर ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। स्पष्ट है, ऐसे वित्तीय एवं गैर–वित्तीय संस्थानों की मदद से सरकार वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने की दिशा में बेहतर कार्य कर सकती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज निजी बैंक ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में भी मुनाफे का कारोबार कर रहे हैं।

अगर उन्हें ग्रामीण बाजार की अहमियत समझाई जाए तथा वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए तो कुछ हद तक वे भी ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निजी बैंक भी खाते खोल रहे हैं।

वित्तीय समावेशन की यात्रा

बैंकों का राष्ट्रीयकरण वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम था। बैंकों का विस्तार, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि का आगाज इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। इसी क्रम में लीड बैंक, स्वसहायता समूह (एसएचजी), सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाएं, लीड बैंक, जिला व स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी आदि की शुरुआत की गई। बाद में वित्तीय समावेशन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को "स्वाभिमान" नाम दिया गया। वर्ष 2014 में राजग के सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। योजना की सफलता के लिए केवाईसी के नियमों को भी सरल बनाया गया है।

बैंकों का नेटवर्क

31 मार्च, 2014 तक देशभर में 1,15,055 बैंक शाखाओं और 1,60,055 एटीएम का नेटवर्क था, जिसमें से 43,962 (38.2 प्रतिशत) शाखाएं और 23,334 (14.58 प्रतिशत) एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में था। इस परिप्रेक्ष्य में 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के 24.67 करोड़ घरों में से 14.18 करोड़ (58.7 प्रतिशत) घर ही बैंकिंग सुविधा का लाभ ले रहे थे, वहीं 16.78 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.14 करोड़ (54.46 प्रतिशत) घर बैंकिंग सेवाओं का उपभोग कर रहे थे, जबकि 7.89 करोड़ शहरी घरों में से 5.34 करोड़ (67.68 प्रतिशत) घर की पहुंच बैंकिंग सेवा तक थी।

प्रधानमंत्री जनधन के तहत खोले गए खातों की स्थिति

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 8 जुलाई, 2015 तक 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमें 10.1 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। 14.87 करोड़ रुपे कार्ड भी खाताधारकों को जारी किए गए हैं। खोले गए खातों में लगभग 20000 करोड़ रुपये जमा भी हैं लेकिन आधे से अधिक खातों में शून्य बैलेंस का होना चिंता का विषय है।

कारोबारी प्रतिनिधि की भूमिका

सरकारी बैंकों में कार्यरत मानव संसाधन की समस्याओं से जुड़ी हुई खंडेलवाल समिति का मानना है कि मानव संसाधन स्तर पर सरकारी बैंकों की चुनौतियां कम होने की बजाए बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 2020 तक तकरीबन 80 प्रतिशत महाप्रबंधक, 65 प्रतिशत उप महाप्रबंधक, 58 प्रतिशत सहायक महाप्रबंधक और 44 प्रतिशत मुख्य प्रबंधक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर होने वाली सेवानिवृत्ति के कारण रिजर्व बैंक ने 2010 से 2020 की अवधि को 'सेवानिवृत्ति का दशक' करार दिया है।

ऐसे में वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए कारोबारी प्रतिनिधियों की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मौजूदा समय में बैंक कारोबारी प्रतिनिधियों की मदद से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। ग्रामीणों को वित्तीय रूप से जागरूक करने के लिए वे ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में समय–समय पर जन–जागरुकता अभियान भी चला रहे हैं।

कारोबारी प्रतिनिधियों का पलायन

वित्तीय समावेशन के सपने को साकार करने के लिए सबसे अहम है कारोबारी प्रतिनिधियों के पलायन को रोकना। कम मानदेय मिलने के कारण वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। "स्वाभिमान" वित्तीय समावेशन संकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1.40 लाख कारोबारी प्रतिनिधियों को नियुक्त किया था, लेकिन कम मानदेय के कारण वे अपना काम छोड़ चुके हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूरा किया जाना है। लिहाजा, इसे समय पर लागू कराने के लिए और भी कारोबारी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन इस दिशा में अभी तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण पहले से ही मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे बैंककर्मी खुद से खाते खोलने के लिए मजबूर हैं। जिससे बैंक के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों मसलन, ऋण वितरण, एनपीए की वसूली, कासा डिपॉजिट मोबलाइजेशन, क्रॉस सेलिंग, लाभप्रदत्ता आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

वित्तीय समावेशन की राह की मुश्किलें

भले ही, वित्तीय समावेशन के तहत खोले जा रहे खातों के लिए केवाईसी के नियमों को सरल बनाया गया है. फिर भी, इसके बरक्स सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्राहक की पहचान के अभाव में हवाला, फ्रॉड, काले धन आदि को बढ़ावा मिल सकता है। यह आतंकवादी गतिविधियों का भी कारक बन सकता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए आधे खातों में बैलेंस शून्य है। ऐसे खातों में नियमित लेन–देन को सुनिश्चित करना आसान नहीं है। परिचालन के अभाव में ऐसे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे एक निश्चित समय–सीमा के बाद एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करके बंद करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में वित्तीय समावेशन के तहत खोले गए अधिकांश खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे खातों की वजह से बैंकों के परिचालन खर्च में हुए इजाफे की प्रतिपूर्ति, कारोबारी प्रतिनिधियों के मानदेय की व्यवस्था, बैंक की तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना, मानव संसाधन की किल्लत, जॉब नॉलेज को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि ऐसे कार्य हैं, जिन्हें पूरा करना बैंकों के लिए आसान नहीं है। एक अनुमान के अनुसार, वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने के लिए लगभग 5 लाख कारोबारी प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, जिन्हें आकर्षक मानदेय देने की व्यवस्था करना पहले से ही पूंजी की कमी से जूझ रहे बैंकों के लिए आसान नहीं होगा।

निष्कर्ष

हमारे देश में नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के अलावा 26 सरकारी बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंक और 43 विदेशी बैंक कार्यरत हैं। एक नया बैंक "बंधन" 23 अगस्त से अस्तित्व में आने वाला है। बावजूद इसके हमारे देश में एक लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 11 बैंक शाखाएं हैं, जबकि अमेरिका में यह 1 लाख की जनसंख्या पर 35 है। ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में सरकारी बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। सरकारी बैंकों ने एसएचजी के माध्यम से लघु उधोगों को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं एसएचजी के गठन एवं उनकी विकासपरक योजनाओं को हकीकत में तब्दील करने में भी सरकारी बैंक अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस कार्य को सिर्फ बैंक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।

वित्तीय समावेशन एक सतत प्रक्रिया है, जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान, नियामकीय संगठन, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठन और आम आदमी के बीच परस्पर सहयोग विकसित करने की जरूरत है। इस संदर्भ में ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में वित्तीय जागरुकता फैलाना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जब तक बैंक खातों से महरूम लोग वित्तीय समावेशन के फायदों से अवगत नहीं होंगे, तब तक इस दिशा में उनका अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सकेगा। इस क्रम में तकनीकी प्रगति ने वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सरल एवं बैंक को लोगों की मुट्ठी तक पहुंचा दिया है। इस दृष्टिकोण से वित्तीय समावेशन को साकार करने की दिशा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आज जरूरत बैंक सुविधा को हर घर तक पहुंचाने की है, तभी प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी को दूर करके उन्हें समावेशी विकास का हिस्सा बनाया जा सकता है।

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में एक अधिकारी के रूप में पटना में कार्यरत हैं।)
ई–मेल : satish5249@gmail-com / singhsatish@sbi-co-in

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की बयार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

गांवों के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका

–डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
–डॉ. लोकेन्द्र सिंह

वित्तीय समावेशन एक सामाजिक क्रान्ति है जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। हालांकि वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराएं। इससे उनको वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और वे इसमें होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सकेंगे।

देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने में जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, वहीं इन समस्याओं के समाधान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी अहम् भूमिका है। अपनी इस भूमिका को बैंक सशक्त तरीके से तभी निभा सकते हैं, जब वे अपनी सेवाएं समाज के उस बड़े वर्ग तक पहुंचाएं, जो अब तक इनसे वंचित रहा है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है। बैंकों की शाखाओं में भारी वृद्धि हुई है तथा बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, पर चिंता की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के एक बड़े वर्ग विशेष रूप से कम आय वाले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुँच पायी हैं।

क्या है वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं, जैसे–पेंशन, बीमा व पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्ग के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुंच ही वित्तीय समावेशन है। अन्य शब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। वित्तीय समावेशन में ऐसे लोगों को

बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। अतः वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत कम आय वाले और समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से सम्बद्ध करना, उन्हें कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और सभी वयस्क व्यक्तियों को बैंक में खाता खोलकर बैंक से जोड़ना शामिल है।

वित्तीय समावेशन की जरूरत

हमारे देश में समावेशी विकास तब तक सम्भव नहीं है, जब तक देश की दो तिहाई ग्रामीण आबादी को वित्तीय तंत्र से न जोड़ दिया जाए। ग्रामीण भारत में समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन की जरूरत निम्नलिखित कारणों से है–

- वित्तीय समावेशन ग्रामीणों की बचत को बैंकों के माध्यम से इकट्ठा कर उन्हें उचित आय प्राप्ति एवं सुरक्षा प्रदान करेगा तथा बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करेगा।
- देश के लगभग 50 प्रतिशत किसान परिवार संगठित क्षेत्र के जरिए ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः उन्हें साहूकारों से ऊंची दर पर अपनी खेती की जमीन गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ता है, जिसको न चुका पाने की दशा में जमीनों को बेचना पड़ता है, जबकि वित्तीय समावेशन के चलते ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी, सस्ते ऋण सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो सकेंगे।
- आज बैंकिंग के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे बदलाव एवं आधुनिक सेवाएं शहरी ग्राहकों तक ही सीमित हैं। वित्तीय समावेशन के चलते ये सभी बैंकिंग की आधुनिक सेवाएं ग्रामीण ग्राहकों को भी आसानी से उपलब्ध होंगी।
- हमारे देश में पूर्ण ग्रामीण विकास वित्तीय समावेशन के बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि वित्तीय समावेशन पूर्ण ग्रामीण विकास हेतु जरूरी ऋण, बचत, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों की कमी को दूर करता है।
- वित्तीय समावेशन गांव के स्तर पर स्थापित, स्वयंसहायता समूह की पहुंच को मजबूत करेगा, जिससे महिलाओं के सशक्तीकरण तथा ग्रामीणों की सामुदायिक शक्ति के विकास में सहायता मिलेगी और ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग–धंधों का भी विकास होगा।
- वित्तीय समावेशन के द्वारा गैर–नकदी आधारित अन्तरण अर्थात् वस्तु विनिमय प्रथा जो आज भी गांवों में प्रचलित है, को दूर किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सूचक है।
- वित्तीय समावेशन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होती बल्कि वित्त की शक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक उत्थान भी होता है।
- बैंक में खाता न होने के कारण अधिकांश वित्तीय लेनदेन बैंकों के क्षेत्र से बाहर होते हैं, जिसकी जानकारी सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं हो पाती और महंगाई तथा मुद्रास्फीति से सम्बन्धित सारे प्रयास फेल हो जाते हैं।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन के प्रयास

सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी ग्रामीण इलाकों को वित्तीय तंत्र की परिधि में लाने के लिए अनेक प्रयास पहले से ही किए जाते रहे हैं, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, विभेदात्मक ब्याज दर योजना, कृषि ऋणों की माफी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने को प्रोत्साहन, समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष ऋण योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड योजनाएं शामिल हैं, किन्तु इन प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का सन्तोषजनक वित्तीय समावेशन नहीं हुआ, जिस पर पिछले एक दशक से काफी जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में हाल ही में नो–फ्रिल खाते, बायोमैट्रिक एटीएम, व्हाईट लेवल एटीएम, बैंकिंग सुविधादाता, बैंकिंग प्रतिनिधि, नये बैंकिंग लाइसेंस, महिला बैंक, पोस्ट बैंक, मोबाइल बैंकिंग, सब्सिडी का नकदी अन्तरण इत्यादि के द्वारा ग्रामीण भारत को वित्तीय तंत्र में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं अनपढ़ लोगों को बैंकों से सम्बद्ध करने का कार्य बैंकों द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए बैंकों के साथ–साथ डाकघर, गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वयंसहायता समूह का भी सहारा लिया जा सकता है। बैंक, वित्तीय समावेशन की मुहिम में, ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देकर, बैंकिंग सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर, बचत के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही धन प्रबंधन और ऋण सम्बन्धी सलाह तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर सहयोग कर सकते हैं। सही तो यह है कि वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के लिए बैंकों को विशिष्ट नीतियां बनानी होंगी और अधिकाधिक नो–फ्रिल खाते खोलकर ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। बैंक, ग्रामीण शाखाओं का विस्तार, मानव संसाधन में वृद्धि, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैंककर्मियों की भर्ती, ग्रामीणों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद, ग्रामीणों के प्रति

सहयोग का रवैया, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समस्या का निवारण कर, वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को क्षेत्र अथवा गांव बांटकर एवं स्थानीय लोगों का सहारा लेकर शून्यशेष पर खाते खोलने होंगे और प्रचार–प्रसार करना होगा।

वित्तीय समावेशन और सरकार की भूमिका

सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के जरिए, समाज के एक बड़े वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना को प्रारम्भ करने के पीछे यही उद्देश्य रखा है कि देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का बैंक में कम से कम एक बचत बैंक खाता अवश्य हो। इस योजना में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी प्रदान की गयी है, किन्तु इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही थोड़े प्रीमियम पर खाताधारकों हेतु अलग से लागू की है। जिन लोगों को जन–धन योजना में बीमा सुरक्षा प्राप्त है, वे भी उपरोक्त नई बीमा योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। बीमा सुरक्षा का लाभ एक निश्चित उम्र तक ही प्राप्त है। अतः बैंक खाताधारक 18 वर्ष से 60 वर्ष तक निरन्तर एक निश्चित धनराशि जमा कर, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा ताउम्र प्राप्त कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन हमारे नीति निर्माताओं के लिए आज सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि जब तक हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं,तब तक हम स्थायी विकास के बारे में नहीं सोच सकते। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता के पीछे एक कारण यह भी है कि लगभग 30 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, परन्तु गरीबों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सामाजिक सुरक्षाकार्य को भ्रष्टाचार के कारण बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत में भी सरकार द्वारा लाभों के नकद अन्तरण की योजनाएं, जैसे–छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा, खाद्य एवं उर्वरक अनुदान तथा सर्वशिक्षा अभियान आदि मामलों में भुगतान, खातों के माध्यम से करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि इनके वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और यह वित्तीय समावेशन के द्वारा ही सम्भव है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की उपलब्धियां

सरकार एवं बैंकों के दस करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 10 जून, 2015 तक 16.14 करोड़ खाते खोले गये हैं, जिसमें अधिकांश खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए हैं। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 9.71 करोड़ खाते तथा शहरी क्षेत्रों में 6.43 करोड़ खाते खोले गए हैं। इस योजना के तहत 10 जून 2015 तक 18296.78 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। जहां तक रुपे डेबिट कार्ड निर्गत करने का सवाल है, अधिकांश खातों में 14.43 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में 51 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं, जिसमें 60.53 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचा है। कुल खातों के लगभग 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या किसानों की है और वे इस योजना से लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खोले गए खाते

(करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक	खातों की संख्या ग्रामीण	शहरी	कुल	रुपे डेबिट कार्ड की संख्या	खातों में शेष	शून्य शेष आधारित खाते (प्रतिशत)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	6.87	5.73	12.59	11.75	14075.44	52.74
2	निजी क्षेत्र के बैंक	2.44	0.43	2.87	2.09	3186.83	52.96
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.40	0.28	0.67	0.59	1034.51	49.25
	कुल	9.71	6.43	16.14	14.43	18296.78	52.60

10 जून 2015 तक के आंकड़े प्रधानमंत्री जन–धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन, एक जून 2015 से नये रूप में लागू किया गया है। पहले दौर में जहां लक्ष्य हर किसी को बैंक तक पहुँचाने का था, वहीं अब दूसरे दौर में कोशिश बैंक पहुँचे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। पहले दौर में दुर्घटना और जीवन बीमा को नये खातों के साथ बगैर किसी शुल्क के मुहैया कराया गया, वहीं अब 330 रुपये शुल्क पर जीवन बीमा सुरक्षा तथा 12 रुपये में दुर्घटना बीमा सुविधा 2 लाख रुपये तक उपलब्ध है। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि खाताधारक अपने रुपे डेबिट कार्ड से खाता खोलने के 45 दिन के अन्दर कम से कम एक बार उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अगर खाताधारक के खाते में शून्य शेष है तो वह रुपे डेबिट कार्ड का प्रयोग नहीं करेगा, जिसकी वजह से बीमा का लाभ उसको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार जन–धन योजना के तहत खुले खातों में 58 प्रतिशत खातों में शून्य शेष है। अतः इन खातों पर बीमा की सुविधा का लाभ मिल पाना सम्भव दिखायी नहीं देता।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन की बाधाएं

यह एक सर्वसुलभ तथ्य है कि भारत की जनसंख्या की आधी से अधिक आबादी का सकेंद्रण ग्रामीण इलाकों में है। यहां आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन है। हमारी आबादी का 80 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और यह भी उतना ही साफ है कि इनके अस्तित्व को बनाए रखना आज समाज व अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़कर कोई वैकल्पिक व्यवसाय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन इलाकों में वित्तीय समावेशन को सही तरीके से लागू किया जाए, तो किसानों को खून चूसने वाले महाजनों व साहूकारों के अत्यन्त ऊँचे ऋण के अन्तहीन दुष्चक्र से मुक्ति मिलेगी। इस बात में भी कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग में विगत वर्षों में बहुत तेजी से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, किन्तु हम बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्ण एवं सार्थक प्रयास नहीं कर पाए हैं, और वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की प्रमुख बाधाएं निम्न हैं–

- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं नहीं खोली गई हैं। निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों में प्रदर्शन लगभग नगण्य है।
- बैंकों द्वारा खाता संचालित करने हेतु ऐसी शर्तें लगाना, जिससे गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के लोग न तो खाता खोलने की सोचते हैं और न ही उसको चलाने में समर्थ हो पाते हैं। जैसे खाते में अधिक शेष की बाध्यता, एटीएम, एसएमएस एवं सेवा प्रभारों की अधिकता एवं अनिवार्यता आदि।
- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंक की बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाओं की आज भी कमी है।
- गरीबी एवं अशिक्षा के चलते कर्ज लेकर गरीब लोग कुछ व्यापार या रोजगार तो चला सकते हैं, किन्तु बचत में कमी के चलते वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- आज भी गांव के गरीब व्यक्ति शहरों में आकर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों में उनके अधिकारी एवं कर्मचारी से मिलने में संकोच करते हैं। अतः इन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं हो पाती।
- अशिक्षित, गरीब एवं ग्रामीण व्यक्तियों को, सरकार द्वारा उनके लिये बनायी एवं लागू की गई योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती, साथ ही इन योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में, आज भी बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास न होने के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता, इसलिए वे लोग खाता खोलने में संकोच करते हैं।
- बैंकों का उद्देश्य लाभ पर आधारित हो गया है। अतः बैंक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने में संकोच करते हैं।
- अति पिछड़े, कठिन एवं दूरस्थ क्षेत्र में धन एवं बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा का अभाव रहता है।
- बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में तैनाती नहीं चाहते और वहां पर पूर्ण क्षमता के साथ कार्य भी नहीं करते, क्योंकि इन शाखाओं में तैनात स्टाफ को निम्न गुणवत्ता वाला समझा जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए, बैंक का कार्य समय उपयुक्त नहीं समझा जाता।
- वित्तीय समावेशन में बैंक स्टाफ के सम्मुख ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा एवं अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की समस्या एक बाधा पैदा करती है।
- बैंकों में मुख्यतः ग्रामीणों के लिए वांछित उत्पाद भी उपलब्ध नहीं हो पाते।
- पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की आपसी दूरी की अधिकता भी वित्तीय समावेशन में बाधा का काम करती है।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन की चुनौतियां

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किन्तु भारत के 6 लाख से अधिक गांवों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र की परिधि में लाना कोई आसान काम नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित हमारे ये गांव विकास के मानदण्ड पर बहुत पीछे हैं, जहां वित्तीय जागरुकता एवं वित्तीय साक्षरता

का अभाव भी चरम पर है। अतः वित्तीय संस्थाओं के लिये यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। वित्तीय समावेशन के माध्यम से यह कार्य करने की बड़ी चुनौती अब बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख है, जो निम्न प्रकार है–

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कृषक एवं मजदूर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को देसी साहूकारों से पूरा करते हैं। अतः ग्रामीण भारत में व्याप्त गरीबी को कम किए बिना तथा ग्रामीणों के संसाधनों में वृद्धि किए बिना वित्तीय समावेशन सफल नहीं हो सकता।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी कम है, जबकि वित्तीय साक्षरता की स्थिति तो ओर भी चिन्ताजनक है। ऐसी दशा में ग्रामीणों के बैंक खाते यदि खोल भी दिए जाएं तो भी वित्तीय जागरुकता के अभाव में उनका संचालन एवं उपयोग सही रूप में नहीं कर पाएंगे।
- वित्तीय समावेशन की ग्रामीण विकास में भूमिका को राज्य सरकारों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया है। अतः इनका सहयोग न मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- विगत वर्षों में, देश में गैर–पंजीकृत वित्तीय संस्थाएं, बैंक, चिटफंड, कमेटी इत्यादि के द्वारा गांव में धोखाधड़ी करने के मामलों में वृद्धि हुई है, जिस कारण वित्तीय मामलों में शंका एवं भय का माहौल बना है।
- बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु शून्य शेष आधारित खाते, बायोमैट्रिक एटीएम जैसे प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे खातों के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय तकनीक एवं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी का अभाव रहता है।
- ग्रामीण वित्तीय समावेशन में एक बड़ी चुनौती ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है।
- ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन में एक बड़ी चुनौती जनसंख्या वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में जीवनयापन करने को लोग मजबूर हैं। अतः इनके लिए भविष्य की योजनाएं, बचत करना या बैंकिंग सेवाओं का बेहतर उपयोग करने से कोई सरोकार नहीं है।
- वित्तीय समावेशन, ऐसे क्षेत्रों में आज भी चुनौती बना हुआ है, जहाँ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। परिवहन के साधनों का अभाव, वन क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, अशान्त क्षेत्र ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से वित्तीय संस्थाएं अपनी शाखाए नहीं खोल पाती हैं।
- वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु ये बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा अपने व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने से हिचकते हैं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु आज इन बैंकों का उद्देश्य सामाजिक बैंकिंग से परिवर्तित होकर लाभोन्मुखी हो गया है। अतः ये बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी बदलाव भी वित्तीय समावेशन के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए हैं।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन को सफल बनाने सम्बन्धी सुझाव

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर, ऋण के रूप में प्रदान कर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन में बैंकों को सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना होगा। भले ही शुरुआती दौर में बैंकों को अधिक लाभ न हो किन्तु कुछ समय पश्चात् बैंकों को भरपूर लाभप्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यह तो निश्चित है कि बैंक। यह कार्य आधारभूत बैंकिंग के सहारे नहीं कर सकते हैं। अतः बैंकों को ऐसी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अपनानी होगी,जिसके सहारे पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रवेश कर, कम लागत पर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें। गांव के गरीब लोगों के लिए ऐसे उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव हो सकते हैं–

- वित्तीय समावेशन हेतु पिछड़े क्षेत्रों को सर्वप्रथम चुना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं को अपनाने में आनाकानी नहीं करते हैं।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत परिवार में कई–कई खाते न खोले जाएं, बल्कि परिवार के कर्त्ता का खाता सर्वप्रथम खोला जाए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही वित्तीय उत्पाद भी विकसित किए जाएं।
- बैंकों द्वारा सभी खोले जाने वाले खातों को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ताकि ग्राहक एक से अधिक खाते खोलकर बैंक के कार्य को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं और कर चोरी को भी रोका जा सके।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत ग्राहकों को जानकारी उनकी क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाए।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, ब्लॉक, तहसील, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से लागू किया जाए।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत महिलाओं के लिए खास महिला बैंकों का विस्तार किया जाए।
- वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए किसानों को किए जाने वाले सभी भुगतान, छात्रवृत्तियां, पेंशन आदि बैंक के माध्यम से ही भुगतान की जाएं।
- वित्तीय समावेशन के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि मेलों का आयोजन कर ग्राहकों में जागरुकता फैलायी जाए।
- वित्तीय समावेशन हेतु डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, बैंककर्मी, व्यापारी व प्रशासन का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी जनता से सीधे सम्पर्क में रहते हैं।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले सौर ऊर्जाचालित बायोमैट्रिक एटीएम लगाए जाएं। इससे रुपे डेबिट कार्डों का उपयोग भी बढ़ेगा और प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचेगा।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी बैंक शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, ताकि जिन लोगों ने बैंक खाते नहीं खोले हैं, उनके खाते खोले जा सकें।
- ग्रामीण शाखाओं में बैंक की कार्यप्रणाली को आसान बनाया जाए तथा एक बैंककर्मी ग्राहकों के फार्म भरने तथा सम्बन्धित जानकारी देने हेतु पूछताछ कक्ष पर कार्यशील घंटों में उपलब्ध रहे।
- बैंकों को चाहिए कि अविकसित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जाए और एक अभियान चलाकर लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ा जाए।
- बैंकों को चाहिए कि जहां सम्भावनाएं हैं और मध्यस्थ नहीं है, वहां ग्राहकों से सीधे सम्पर्क कर बैंक सेवाएं प्रदान करें।
- बैंकों को चाहिए कि विशेषज्ञों की सहायता से वित्तीय समावेशन के उन्नत मॉडल विकसित करें ताकि कम लागत पर लोगों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें।

वित्तीय समावेशन के द्वारा देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी, बेरोजगारी एवं ऋणग्रस्तता की समस्याओं का सामना बेहतर रूप से किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की अपार सम्भावनाएं हैं। यदि आज प्रारम्भिक दौर में हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ पाएं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराएं। इससे उनको वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और वे इसमें होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सकेंगे। इस प्रकार वित्तीय समावेशन एक सामाजिक क्रान्ति है, जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन–स्तर में सुधार लाते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के साथ–साथ समग्र वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। यदि वित्तीय समावेशन को निष्ठा और उत्साहपूर्वक लागू किया गया, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद दूसरी क्रान्ति के रूप में उभरेगा। वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास की दशा में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और ग्रामीणों को बचत, ऋण, निवेश, पेंशन, बीमा इत्यादि के लाभ से अवगत् कराता है। ग्रामीण वित्तीय तंत्र का हिस्सा बनकर, सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं, जैसे– भारत निर्माण, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि का उचित लाभ उठा सकेंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी योजनाओं को, इससे सम्बन्धित सभी पक्ष, अपनी सोच में बदलाव लाकर समर्पण की भावना एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू करें, तभी हम इस मुहिम में सफल हो पाएंगे और सरकार का सपना भी साकार हो पाएगा, जो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

(लेखक क्रमशः साहू जैन कालेज, नजीबाबाद में एसोसिस्ट प्रोफेसर तथा जनता वैदिक कालेज,बड़ौत, उत्तर प्रदेश में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।)
ई–मेल : drnps62@gmail.com

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से समृद्ध होंगे किसान

—इंद्रेश चौहान

बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि से संबद्ध है। ऐसी स्थिति में इनकी उन्नति के बिना देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो कृषि में वित्तीय समावेशन के जरिए पिछड़े किसानों को आगे लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों योजनाओं के जरिए किसानों को काफी राहत मिलेगी। इन योजनाओं का किसानों को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए नीति आयोग खुद इसकी निगरानी करेगा।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध करने के लिए लगातार तमाम उपक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खेती की पद्धतियों के आधुनिकीकरण के जरिए कृषि क्षेत्र में नई जान डालने को महत्व देते हैं। इस वजह से लगातार नई–नई तकनीक विकसित करने के साथ ही किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को वरीयता दी जा रही है। अगर हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो इसका सीधा–सा मतलब होता है समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं से सुविधा संपन्न बनाना। केंद्र सरकार इस पहलू पर खासतौर से ध्यान दे रही है। किसानों के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई जा रही हैं बल्कि वित्तीय समावेशन के जरिए उनकी मदद भी की जा रही है। कृषि क्षेत्र का करीब 78 फीसदी भाग मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून साथ न दे तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने आर्थिक समस्या आती है। उन्हें खाद, बीज व पानी के लिए ऋण तक लेना पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इस दिशा में सबसे बेहतर सहयोगी बना है। केसीसी की तरह की अन्य कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो किसानों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में साफतौर पर कहा था कि जब तक भारत के किसानों को सुविधा संपन्न और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत को विकसित करने के सारे प्रयास नाकाफी होंगे। इन्होंने इसके पीछे विभिन्न प्रगतिशील देशों में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि प्रगतिशील देश कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को न सिर्फ

बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्हें सिंचाई सुविधाओं से भी लैस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के किसानों को सिंचाई सुविधा से संपन्न बनाने के साथ ही पानी की हर बूंद की कीमत भी बतानी होगी। जब तक एक–एक बूंद के महत्व को नहीं समझा जाएगा, तब तक तरक्की और खुशहाली की अवधारणा पूरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में खेती के क्षेत्र में जितनी अधिक तरक्की होगी, उसी अनुपात में देश की तरक्की की गति भी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री की ओर से किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की मंशा को देखते हुए भी केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बजट में भी इसकी झलक साफतौर पर दिखी थी। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने 2015–16 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8.5 करोड रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा। जबकि 2015–16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण और संरचना विकास कोष की निधियों में 25000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष में 15000 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक आर आर बी पुनर्वित्त निधि के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके पीछे भी मूल मकसद कृषि क्षेत्र का वित्तीय समावेशन ही है।

अभी भी हमारे देश में बड़ा भू–भाग सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इससे न सिर्फ हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। खेतीबाड़ी की गतिविधियों को ज्यादा कारगर बनाना और खेत की उत्पादकता बढ़ाना भी मकसद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का किसानों को त्वरित लाभ दिलाने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है। इसके तहत देश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का जिम्मा तो जिला और राज्य प्रशासन के पास रहेगा मगर नीति आयोग इस प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। योजना के क्रियान्वयन में बजट आड़े नहीं आए, इस वजह से केंद्र सरकार ने इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार की मंशा इस योजना पर पांच वर्ष में 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की है।

दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक न तो भरपूर उत्पादन हो सकता है और न ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस योजना के कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि देश में अभी भी कृषि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई से वंचित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व की कुल भूमि का 2.5 हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 185 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। करीब 144 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। इसी तरह 47.23 मिलियन हेक्टेयर भूमि को परती भूमि के रूप में चिह्नित किया गया जो देश के कुल भू–क्षेत्र का 14.19 फीसदी हिस्सा है। घनी झाड़ी वाली करीब 9.3 मि. हेक्टेयर परती भूमि मुख्य परती भूमि है जबकि खुली झाड़ी वाली 9.16 मि. हेक्टेयर भूमि का दूसरा स्थान आता है। करीब 8.58 मि. हेक्टेयर भूमि कम उपयोग की गई या क्षरित वन झाड़ी भूमि है। इस लिहाज से इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है।

जब सिंचाई के पर्याप्त साधन होंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इस योजना का दूसरा उद्देश्य है खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके और सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि। इसके अलावा इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसी तरह सरकार की ओर से ड्रिप सिंचाई जैसी योजना भी संचालित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के घटक के तौर पर ऑन फॉर्म वॉटर मैनेजमेंट के तहत सरकार वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायता की दर स्थापना लागत का 35 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक और अन्य किसानों के लिए इसकी स्थापना लागत का 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक सहायता की दर रहती है। केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों को 10 प्रतिशत सहायता मुहैया कराएंगी। किसानों की समृद्धि की सरकार की मंशा बजट में भी साफतौर पर दिखती है। केंद्र सरकार की ओर से खेती एवं खेतिहरों के लिए वित्तीय समावेशन पर खासतौर से जोर दिया गया है। सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को सभी सुविधाओं से संपन्न करने पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में सबसे मजबूर हथियार साबित होगी।

इस तरह होगी योजना की निगरानी

राष्ट्रीय–स्तर पर पीएमकेएसवाई योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों

के साथ एक अंतर–मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर–मंत्रालयी समन्वय, निगरानी और प्रदर्शन के आकलन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य–स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति (एसएलएससी) द्वारा किया जाएगा। इस समिति के पास परियोजना को मंजूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार होगा। कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला–स्तरीय समिति भी होगी। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएं बनायी जाएंगी।

किसानों की समृद्धि से जुड़ी अन्य योजनाएं

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए जिस दूसरी बड़ी योजना को मंजूरी दी है वह है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। इस योजना में कैबिनेट ने अगले दो वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के जरिए देश की 585 मंडियों को ई–प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा। यह योजना किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) एक राष्ट्रीय–स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। एनएएम से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मंडी पहले की भांति काम करती रहेगी। एनएएम से जुड़ कर कोई भी कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी में लाते हैं तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ–साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प व व्यवस्था होगी। जहां बेहतर भाव मिलेंगे, किसान वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि–तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ) के जरिए राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना को भी अपनी मंजूरी दी है। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) इसे पूरे देश में चयनित विनियमित बाजारों में तैनाती योग्य आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण द्वारा लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से स्थापित करेगा। इसके तहत साल 2015–16 से साल 2017–18 की परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें डीएसी की ओर से राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए निःशुल्क सॉफ्टवेयर की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है।

स्रोत

- कृषि विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

(लेखक प्रवक्ता हैं एवं नियमित तौर पर विकासात्मक मुद्दों पर लेखन कार्य से जुड़े हैं।)

वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की सहभागिता

—सबिता कुमारी

नाबार्ड के ''ग्राम कार्यक्रम'' में ग्राम समुदाय के परामर्श से गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास की परिकल्पना है, जिसे सरकार तथा नाबार्ड के विविध विकास कार्यक्रमों के साथ मिलाकर चलाया जाता है। इसमें तीन वर्ष की अवधि में गांव के सम्पूर्ण विकास के लिए योजना तथा विविध विकास कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर दिया जाता है। पहले चरण में यह कार्यक्रम 811 गांवों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 25 राज्यों के कुल 1068 गांवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम ने देशभर के बहुत से गांवों में ग्रामीण समुदाय के जीवन तथा उनके जीवन-स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

वित्तीय समावेशन का अर्थ है ''समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना''। इसके साथ ही ये सेवाएं इन लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर मिलनी चाहिए। कुछ प्रमुख वित्तीय सेवाएं हैं—ऋण, भुगतान और धनप्रेषण सुविधाएं और मुख्यधारा के संस्थागत समूहों द्वारा कुछ उचित और पारदर्शी ढंग से वहनीय लागत पर बीमा सेवा। इन्हीं में से एक ''राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक'' (नाबार्ड) कृषि और ग्रामीण विकास हेतु इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ववर्ती कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम और ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5 नवम्बर, 1982 को राष्ट्र को समर्पित किया।

नाबार्ड की स्थापना अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपये से की गई, जिसका अंशदान भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने समान रूप से किया। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के अनुपात में संशोधन के उपरांत 31 मार्च, 2013 को प्रदत्त पूंजी 4000 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें 99.5 प्रतिशत (3980 करोड़ रुपये) का अंश भारत सरकार तथा 0.50 प्रतिशत (20 करोड़ रुपये) का अंश भारतीय रिजर्व बैंक का है।

वित्तीय समावेशन

हाल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से और बैंकिंग सेवाओं में

विशेष रूप से तीव्र प्रगति हुई है। फिर भी वित्तीय क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सबसे प्रारम्भिक अवसरों और सेवाओं से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से असुरक्षित समूह जैसे कमजोर वर्ग और निम्न आय वाले वर्ग अब भी बाहर हैं। वित्तीय समावेशन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार ने डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में ''वित्तीय समावेशन पर समिति'' का गठन किया। इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 जनवरी, 2008 को माननीय वित्तमंत्री को प्रस्तुत की।

वित्तीय समावेशन पर समिति ने वित्तीय समावेशन को इस प्रकार परिभाषित किया है– ''असुरक्षित समूहों जैसे कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों द्वारा जब भी आवश्यकता हो, कम लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय से तथा पर्याप्त ऋण तक पहुंच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।''

अन्य सिफारिशों के साथ–साथ समिति ने दो निधियां–वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना की सिफारिश की है। यह दोनों निधियां नाबार्ड में स्थापित की गई हैं। नोडल विभाग के रूप में वित्तीय समावेशन विभाग वित्तीय समावेशन पहलों के लिए समन्वय एजेंसी है।

नाबार्ड के प्रमुख कार्य

कृषि और ग्रामीण कार्यों तथा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की ऋण जरूरतों के पुनर्वित्त से जुड़े एक शीर्ष बैंक के रूप में 'नाबार्ड' भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कुछ पर्यवेक्षी कार्यों को कर रहा है।

- राज्य सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और स्वैच्छिक आधार पर शीर्ष गैर–ऋण सहकारी समितियों का निरीक्षण करता है।
- सहकारी बैंकों और क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों की परोक्ष निगरानी के अलावा पोर्टफोलियो निरीक्षण, सिस्टम अध्ययन का कार्य करता है।
- सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नई शाखाएं खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिशें देता है।
- राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में ऋण निगरानी व्यवस्था का प्रबंध करता है।

नाबार्ड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (6) के प्रावधानों के तहत राज्य सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करने की वैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नाबार्ड स्वैच्छिक आधार पर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, राष्ट्रीय सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, शीर्ष पर राज्य सहकारी कृषि आदि जैसी राज्य–स्तरीय सहकारी संस्थाओं का आवधिक निरीक्षण भी करता है।

फसलों की उत्पादकता एवं अन्य कृषि कार्यकलापों को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं स्थानांतरण को महत्व देते हुए विकास नीति विभाग विविध कार्यों में सहायता देता है, जिससे कि किसानों को उन एजेंट के साथ सम्पर्क करने में आसानी हो जो इनपुट्स, प्रौद्योगिकी, क्रेडिट, विस्तार, मार्केट इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करती हैं। किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाए जाने तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से उनके द्वारा स्वीकृत पैकेज के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण एवं प्रसार के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों के लिए नाबार्ड ने वर्ष 2008 में अपने संचालन मुनाफे एफ आई टी निधि का सृजन किया है। इस फंड के अंतर्गत दिनांक 01.04.2012 तक 101 करोड़ रुपये का कार्पस बन चुका है। वर्ष 2012–13 के दौरान एफ.आई.टी. निधि के अंतर्गत विधि क्रियाकलापों हेतु 39.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि संवितरित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विविध कार्यों को सहायता प्रदान की जा रही है :–

विस्तृत परियोजना विधि के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाएं

इस निधि के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान, वित्तपोषण संस्थाओं, सामाजिक संगठनों/स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विभिन्न राज्यों में स्थित संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक एजेंट को ये परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, स्थायी आजीविका संवर्द्धन तथा कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों में उत्पादकता बढ़ाने, सूचना प्रसारण तथा मार्केट से सम्पर्क बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन एवं प्रसार करना होता है। ये परियोजना सामान्यतः 2 से 3 वर्षों के लिए मंजूर की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस निधि के अंतर्गत कुल 18 राज्यों में 211 प्रस्तावों हेतु कुल 5.66 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई थी। अब तक समेकित कुल 1282 परियोजनाओं को 80.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की जा चुकी है। अनुमान है कि प्रौद्योगिकी स्थानांतरण परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों में लगभग 4 लाख परिवारों को सीधे तौर पर शामिल किया जा चुका है।

ग्राम विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांवों का समग्र विकास

नाबार्ड के ''ग्राम कार्यक्रम'' में ग्राम समुदाय के परामर्श से गांवों के समन्वित एवं समग्र विकास की परिकल्पना है, जिसे सरकार तथा नाबार्ड के विविध विकास कार्यक्रमों के साथ मिलाकर चलाया जाता है। इसमें तीन वर्ष की अवधि में गांव के सम्पूर्ण

विकास के लिए योजना तथा विविध विकास कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर दिया जाता है। पहले चरण में यह कार्यक्रम 811 गांवों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 25 राज्यों के कुल 1068 गांवों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम ने देशभर के बहुत से गांवों में ग्रामीण समुदाय के जीवन तथा उनके जीवन–स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कार्यक्रम की सफलता की कहानियां छत्तीसगढ़ में जिला रायगढ़ के कपूरतुंगा गांव, आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के इरलापदु गांव तथा कर्नाटक में गडग जिला के कल्लिगनुर गांव में उदाहरण स्वरूप देखी जा सकती हैं।

पर्यवेक्षकीय रणनीति

बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों/प्रथाओं के नये सेट वाणिज्य बैंकों के लिए लागू किए थे ताकि उन्हें बदलते परिदृश्य में और अधिक प्रतिस्पर्धी और दीर्घकालिक बनाया जा सके। भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से उभरे सामान्य बैंकिंग वातावरण में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों को कार्य करना था। तद्नुसार विवेकपूर्ण मानदंड चरणबद्ध तरीके से उन पर लागू किए गए थे, जबकि पूंजी पर्याप्तता मानदंड अब तक इन बैंकों पर लागू नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य विवेकपूर्ण मानदंड जो वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए लागू किए गए थे, क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों पर 1995–96 और 1996–97 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू किए गए थे तथा 1997–98 में नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को शामिल किया गया। नाबार्ड, एक ठोस और समयबद्ध पर्यवेक्षण रणनीति के माध्यम से इन बैंकों को निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों को अपनाकर नए वित्तीय अनुशासन के अनुसार समायोजित करने में सहायता दे रहा है।

वर्तमान कार्य स्वरूप

संशोधित नीति के तहत, नाबार्ड के निरीक्षण में पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय तरलता, प्रणाली और अनुपालन (सीएएमईएलएससी) से संबंधित बैंकों के कामकाज के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। इस प्रकार अपने सांविधिक 'ऑन साइट' निरीक्षण में नाबार्ड का ध्यान कोर आकलन पर है और संपार्श्विक आकलन बैंकों के जिम्मे है। आंतरिक निरीक्षणों के माध्यम से या लेखा परीक्षकों जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से बैंकों द्वारा सूक्ष्म स्तर पहलुओं का ध्यान स्वयं रखा जाना है। इस दिशा में सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और मुख्य लेखा परीक्षकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं और बैठकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से आंतरिक जांच और नियंत्रण, ऋण और अग्रिमों पर ब्याज, निवेश और अन्य माध्यमों से राजस्व और आय प्राप्ति तथा सामान्य बैंकिंग लेनदेन करने की रोजमर्रा की सुविधाओं का बैंकों और उनकी संगामी/सांविधिक लेखा परीक्षण प्रणाली द्वारा उचित ढंग से ध्यान रखा गया था।

कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने पुनर्वित्त की ब्याज दरें घटाई

कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नाबार्ड ने बैंकों के लिए अपने पुनर्वित्त की ब्याजदरों में कमी की है। दीर्घावधि पुनर्वित्त सुविधा (3–5 वर्ष और 5 वर्ष) पर यह 20 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) तथा मध्यावधि पुनर्वित्त सुविधा (18 माह से 3 वर्ष) पर 50 बेसिस पॉइंट (बीपीएस) घटाई गई है। तदनुसार, नई दरें 5 वर्ष के लिए 9.30 प्रतिशत, 3–5 वर्ष के लिए 9.50 प्रतिशत और 18 माह से 3 वर्ष की अवधि के लिए 9.5 प्रतिशत होगी।

कृषि और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए, ब्याज दरों में इस कमी के अतिरिक्त नाबार्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नवोन्मेषी गतिविधियों के लिए और 50 बेसिस प्वाइंट की कमी भी करेगा। इन गतिविधियों में नियंत्रित परिवेश में उत्पादन तथा पॉली–हाउस, जल संरक्षण वाली सुविधा शामिल है।

एक ही आहरण में 500 करोड़ रुपये से अधिक ग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में 10 बीपीएस की और कमी की जाएगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण को (फसल ऋण के अतिरिक्त) बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा विकास निगमों, फसलों के विपणन आदि अन्य निर्दिष्ट गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि ऋण पर 50 बीपीएस तक ब्याज दर में कमी की है। संशोधित ब्याज दर अब 10 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

संस्थागत विकास

अल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी संस्थाएं : अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए भारत सरकार के पुनरुद्धार पैकेज में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लगभग 3.05 लाख कार्मिकों को व्यापार विकास और लाभप्रदत्त, परिवर्तन प्रबंधन, सीएएस/एमआईएस और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि इन उपायों से उनकी बैलेंस शीट ठीक होने, अभिशासन में सुधार और छोटे किसानों/मझोले किसानों और उधार लेने की सदस्यता के कवरेज में सुधार के अलावा, कारोबार की मात्रा में वृद्धि हुई है और सहकारी ऋण संरचनाओं के ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 के लिए सहकारिता विकास निधि के तहत 21.87 करोड़ से सहायता प्रदान की गई। यह सहायता विभिन्न कौशल निर्माण प्रयासों के लिए प्रशिक्षण और सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए अलग से दी गई है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार सहकारिता विकास निधि के तहत संचयी वितरण 130.95 करोड़ था।

सहकारिताओं के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) : नाबार्ड ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली को सीबीएस में लाने में मदद करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की परियोजना में 16 राज्यों और 03 केन्द्रशासित प्रदेशों में 205 बैंकों की 7088 शाखाओं में सीबीएस लागू किया गया।

नैबकान्स : नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकान्स) ग्राहकों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने परामर्श कारोबार में एक प्रभावशाली और विविधकृत प्रदर्शन किया और 25.75 करोड रुपये की आय अर्जित की। इसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और मूल्यांकन अध्ययन तैयार करके वाणिज्यिक कृषि परियोजनाओं में निजी निवेश और वित्तपोषण को बढ़ावा देने में मदद की।

लघु और मध्यम अवधि के ऋण

आधुनिक कृषि, जो पारम्परिक खेती से अलग है, में उच्च उपज किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और महंगे कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए आवर्ती प्रकृति का पर्याप्त निवेश अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में ऋण की व्यवस्था में उत्पादकता, विपणन और अधिशेष तथा बचत के स्तर को ऊपर उठाना ऋण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आधुनिक प्रौद्योगिकी, संस्थागत ऋण, ढांचागत व्यवस्थाओं आदि के लाभ किसानों के सभी वर्गों को उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा, आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक लागत के आधार पर निधियों की आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके लिए संसाधनों को जुटाने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उत्पादन ऋण के बड़े पैमाने पर वितरण के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र के रूप में उधार देने के लिए फसल ऋण प्रणाली या उत्पादन उन्मुख प्रणाली तैयार और विकसित की गई थी।

उत्पादन ऋण विभाग (पीसीडी) ग्राहक संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादन, विपणन और खरीद गतिविधियों के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन)

राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीण ग्रामीण बैंकों को उत्पादन प्रयोजनों के लिए ऋण सीमा की मंजूरी के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। संस्वीकृत ऋण सीमा के समक्ष प्रत्येक आहरण की 12 महीने के भीतर चुकौती किया जाना अपेक्षित है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके मौसमी कृषि परिचालनों के लिए वित्तपोषण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और जिम्स बैंकों (सीधे) को अल्पावधि पुनर्वित्त।

अल्पावधि (अन्य)

अल्पावधि सीमा (अन्य) में विभिन्न प्रयोजन शामिल होंगे यथा अल्पावधि कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां, अल्पावधि फसलों का विपणन, अल्पावधि मत्स्य पालन क्षेत्र, अल्पावधि औद्योगिक सहकारी समितियां (बुनकरों के अलावा अन्य) अल्पावधि श्रम अनुबंध और वन श्रम सहकारी समितियों सहित लघु वन उत्पादों का संग्रहण, अल्पावधि–पैक्स/लैम्प्स/एफएसएस के बुनकर सदस्यों सहित ग्रामीण कारीगर, अल्पावधि–संबंधित उद्देश्यों के लिए बैंकवार आरएलपी के आधार पर रासायनिक उर्वरक और अन्य कृषि निविष्टियों की खरीद, भंडारण और वितरण। यह सीमा राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए स्वीकृत की जाती है।

मध्यावधि रूपांतरण

नाबार्ड, जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, उनके मौजूदा अल्पावधि कृषि ऋण को

मध्यावधि ऋण में बदलकर तथा वर्तमान मध्यावधि ऋण के पुनः निर्धारण के माध्यम से उन्हें राहत प्रदान करता है।

अल्पावधि (बुनकर)

अल्पावधि (बुनकर) के तहत निम्नानुसार पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है :–

- राज्य सहकारी बैंकों/जिम्स बैंकों के माध्यम से प्राथमिक/शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंक के माध्यम से प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति की कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य हथकरघा विकास निगम की कार्यशील पूंजी अपेक्षाएं।
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत बुनकरों, हथकरघा बुनकर समूह, मास्टर बुनकरों, पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों और सहकारी क्षेत्र के बाहर की समितियों और निर्माता समूह की कार्यशैली पूंजी और विपणन की अपेक्षाएं।

दीर्घावधि ऋण

निवेश ऋण से आस्ति निर्माण के माध्यम से पूंजी निर्माण होता है। इसमें तकनीकी उन्नयन शामिल है, जिसके कारण उत्पादन, उत्पादकता और कृषकों एवं उद्यमियों की वृद्धिशील आय में वृद्धि होती है। यह दीर्घावधि पुनर्वित्त सुविधा है। ऋण सामान्यतः 3 से 15 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में आय उत्पादक आस्तियों का निर्माण करना है।

- कृषि और अनुषंगी गतिविधियां।
- शिल्पकार, लघु उद्योग, गैर–कृषि क्षेत्र (लघु एवं सूक्ष्म उद्यम), हथकरघा, हस्तशिल्प, पावरलूम इत्यादि।
- ग्रामीण गरीबों के बीच कार्य करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों और स्वयंसहायता समूहों की गतिविधियां।

ऋण के मुख्य प्रयोजन

कृषि क्षेत्र : कृषि और अनुषंगी गतिविधियां यथा लघु सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, मृदा संरक्षण, डेयरी, भेड़/बकरी पालन, पॉल्ट्री, सुअर पालन, बागान/बागवानी, वानिकी, मत्स्यपालन, भंडारण एवं मार्केट यार्ड, बायोगैस और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों, रेशमपालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और बैलगाड़ी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा केन्द्र इत्यादि में ऋण देने का प्रावधान नाबार्ड द्वारा किया गया है।

गैर–कृषि क्षेत्र : शिल्पकार, लघु और सूक्ष्म उद्यम, हस्तशिल्प, हथकरघा, पावरलूम इत्यादि में नाबार्ड द्वारा ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार/एजेंसियों तथा नाबार्ड के कार्यक्रमों के साथ अभिमुखता

राज्य और केन्द्र सरकार की एजेंसियों, अन्य एजेंसियों और नाबार्ड से अनुदान और अन्य सहायता प्राप्त होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बीच तालमेल बैठाना।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सामाजिक विकास की सरकारी योजनाओं में एकरूपता और तालमेल के लिए प्रयास किए जाएं।

समेकित योजना हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना जरूरी है :–

- **ऋण वितरण में परिवारोन्मुख दृष्टिकोण :** चयनित गांवों में ग्रामीण समुदायों की विभिन्न ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन और उनको पूरा करने में यथासंभव परिवारोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋणकर्ताओं को कवर करना :** वित्तीय समावेशन काश्तकार, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार, चूककर्ताओं सहित ऐसे सभी किसानों, जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, को पहचान कर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाने के सभी प्रयास करना है। बैंकों को यह समझना है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही फसली ऋणों का वितरण सुनिश्चित करें और कुल फसली ऋणों का दो प्रतिशत काश्तकार/मौखिक पट्टेदारों को वितरित किया जाए।
- **जनता की भागीदारी :** योजना की सफलता और निरंतरता, उस योजना को जनता द्वारा अपनाने और सहभागिता पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक स्तर पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **योजना का लक्ष्य :** चयनित गांवों का विकास इस प्रकार करना है कि वह "सम्पूर्ण विकास का एक दोहराने योग्य मॉडल बन सके।

संदर्भ

- नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन 2006–07 से 2011–2012
- Sangwan S.S. (2008). "Financial Inclusion and Self Help Groups", Nabard
- www.nabard.org

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : savitakumari470@yahoo.com

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

–धनजी चौरसिया

केंद्र सरकार द्वारा बिजली और रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे वाजिब कारण हैं। लघु एवं सीमांत किसान हो या उद्योग, बिना बिजली के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ, जब तक मेहनती हाथ हुनरमंद नहीं होंगे तब तक न तो मेहनत का वाजिब मूल्य मिलेगा और न ही उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई दो योजनाओं के जरिए पूरे देश में बिजली उपलब्ध कराने और मेहनती हाथों को हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से इस साल दो प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी बदौलत भविष्य में ग्रामीण भारत तरक्की करता नजर आएगा। भारत के गांवों में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बिजली की और दूसरे कौशल विकास की। इन दोनों चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दो योजनाएं शुरू की हैं। एक का नाम रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके जरिए पूरे देश के गांवों में ज्योति फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके जरिए मेहनती हाथों को हुनरमंद बनाया जाएगा। इन दोनों योजनाओं में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके जरिए भारत के गांवों में रोजगार के साधन विकसित होंगे। जब पर्याप्त बिजली मिलेगी तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को ताकत मिलेगी और इन उद्योगों को चलाने का जिम्मा जब प्रशिक्षित युवाओं के हाथ में होगा तो उनकी सफलता पर किसी तरह का संशय करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। विश्व बैंक के द्वारा इस योजना के मूल्यांकन के अनुसार गुजरात इस योजना का बेहतर और शानदार उदाहरण है। गुजरात सरकार ने बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और जारी दिशा–निर्देशों के पालनों से इंकार करने वाले किसानों के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार की। गुजरात के लोड प्रबंधन सुधारों से कुल मिलाकर, किसानों के बीच बिजली और भूजल दोनों की ही मांग में कमी लाने का प्रयास किया गया। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि गुजरात मॉडल का असर पूरे देश में दिखेगा।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

गरीब परिवार के युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने और उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) शुरू की गई है। इस योजना के जरिए निर्धन और सीमांत लोगों को लाभकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रशिक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त

करने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 50 फीसदी हो। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत, महिला वर्ग के 33 प्रतिशत लोगों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है जिससे छात्रों को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सहूलियत हो। इस योजना में छात्रों को वित्तीय मदद उनके बैंक खातों में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी छात्र पैसे के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाए। इस योजना का मूल उद्देश्य यह होगा कि प्रशिक्षण लेकर युवा जीविकोपार्जन से जुड़े। योजना के तहत यह भी प्रयास किया जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त युवा स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त करें। साथ ही, विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ–प्रदर्शन भी किया जाएगा। नियोजन–पश्चात सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व–छात्र नेटवर्क तैयार करना भी योजना का उद्देश्य होगा। योजना की सबसे खास बात यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। योजना में कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रति व्यक्ति 25,696 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की मांग का समाधान किया जाता है। इसके माध्यम से 576 घंटे (तीन माह) से लेकर 2304 घंटे (बारह माह) की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण के खर्च, रहने और खाने–पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थायी रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लंबिंग, रत्न और आभूषण सहित करीब 250 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

दुनिया में भारत सबसे युवा देश है और इसकी 54 प्रतिशत आबादी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। सरकार का मकसद इन युवाओं को शिक्षा और रोजगार उपलबध कराना है। इसके लिए स्किल इंडिया अभियान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। हालांकि देश में फिलहाल केवल पांच प्रतिशत कार्यबल को प्रशिक्षण प्राप्त है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्किल मिशन को विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न क्षेत्रों की 31 कौशल विकास परिषदों से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण भारत के न सिर्फ विकास पर जोर दिया जा रहा है बल्कि ग्रामीण इलाके के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं। इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। वहीं यदि हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अध्ययन रिपोर्ट देखें तो भी हमारे देश में गुणवत्तापरक कौशल की कमी बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, गुणवत्ता का बढ़ता अंतर, समय से पहले स्कूल छोड़ने अर्थात ड्रापआउट के मामलों, अपर्याप्त कौशल विकास प्रशिक्षण क्षमता और कौशल विकास को लेकर नकारात्मक धारणाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उद्योग के लिए काम करने लायक कौशल की कमी बनी हुई है। वर्ष 2014–15 की आर्थिक समीक्षा में भी दो चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें एक कौशल विकास करना है तो दूसरा, रोजगार प्रदान करना। समीक्षा में श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुशल कार्यबल का अनुपात तकरीबन दो प्रतिशत है जो शेष विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम है। देश में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के सिर्फ 6.8 प्रतिशत लोगों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्ययन में कहा गया है कि 2013–14 में गैर–कृषि क्षेत्रों में 12 करोड़ कार्यकुशल लोगों की जरूरत थी। उल्लेखनीय है कि एनएसएसओ के 68वें दौर अर्थात 2011–12 के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 2011–12 में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई जो 2009–10 के दौरान 11 प्रतिशत थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 से 2022 के बीच 10 करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि गांवों के विकास के लिए ग्रामीण इलाके में शहरों की तर्ज पर बिजली उपलब्ध करानी होगी। जब तक ग्रामीण इलाके को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तब तक वहां विकास को गति नहीं मिल सकती है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है। इस योजना की निगरानी के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई गई है। यह समिति परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए

जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा, जिसमें पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन और कृषि कार्य के लिए होने वाले कनेक्शन को अलग–अलग फीडर से आपूर्ति देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में भी शहरों की तर्ज पर बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। यानी जो जितनी खपत करेगा उसी हिसाब से बिजली का बिल अदा करेगा। क्योंकि ग्रामीण इलाके में एक बड़ी समस्या बिजली खपत की है। कुछ लोग दिनभर बिजली का दोहन करते हैं और कुछ लोग चंद घंटे। इसके बाद भी सभी को बराबर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण इलाके में भी बिजली के मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण घरों को तथा कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि पहले से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी इसमें समाहित कर दिया गया है। इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की गई है। इसमें केंद्र 33 हजार चार सौ 53 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके बाद निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। विशिष्ट वर्ग में जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं।

अब हम भारत के गांवों में बिजली व्यवस्था का हाल देखें तो स्थिति चिंताजनक है। हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब देश के लाखों किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप द्वारा भूजल का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन बिजली नहीं मिलने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। इस समस्या से निबटने के लिए गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा रहा है जिसके जरिए गांवों और लघु ग्रामीण उद्योगों को अधिक बिजली की आपूर्ति की गई।

ऐसी स्थिति में इन दोनों योजनाओं के लागू होने का असर जल्द ही पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। जब अधिक बिजली बचत होगी तो निश्चित तौर पर हर भारतीय को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। जब बिजली पर्याप्त मिलेगी तो खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी तरफ मेहनती हाथों का कौशल विकास होने से वे अपनी मेहनत की उचित कीमत हासिल कर सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक हाथों को हुनरमंद नहीं बनाया जाता है तब तक मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। इन दोनों योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन का असर जल्द ही दिखाई पड़ेगा और समूचे भारत में तरक्की की नई राह भी खुलेगी। कारखानों का उत्पादन बढ़ेगा। खेत से अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। इन दोनों योजनाओं की बदौलत यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत के गांव विकासशील भारत के गांव नहीं बल्कि विकसित भारत के गांव बन जाएंगे।

स्रोत

- भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय।
- अमर उजाला सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट।

(लेखक विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं तथा विकासात्मक मुद्दों पर नियमित लेखकीय कार्य में सक्रिय)

ई–मेल : dhanjichaurasiya4@gmail.com

सफलता की कहानी

खुले में शौच से मुक्त हुआ जरैला गांव

–रामचरण धाकड़

स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लुपिन फाउंडेशन संस्था ने भरतपुर जिले के रूपवास पंचायत समिति के जरैला गांव को स्वच्छ, साफ-सुथरा बनाने एवं खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सभी घरों में 102 शौचालयों का निर्माण कराया है तथा गांव के प्रमुख मार्गों पर प्रतिदिन साफ-सफाई कराने की व्यवस्था भी ग्रामीणों के सहयोग से शुरू की है। संस्था प्रयास कर रही है कि जरैला गांव में निर्मित शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग हो। इसके लिए ग्रामीणों को शौचालयों की उपयोगिता समझाई जा रही है। इन शौचालयों के निर्माण पर लुपिन ने हैबीटेट फॉर ह्यूमैनिटी ऑफ इण्डिया (एचएफएचआई) के सहयोग से करीब 20 लाख रुपये खर्च किए हैं।

जरैला गांव में अन्य गांवों की तरह लगभग सभी ग्रामीण खुले में शौच के लिए जाते थे। गांव में मात्र तीन घरों में शौचालय बने हुए थे जिनका उपयोग केवल मेहमानों के लिए किया जाता था। मेहमानों के आने पर इन्हें खोल दिया जाता और उनके जाने के बाद इन पर ताला लगा दिया जाता। यही स्थिति स्कूल में बने शौचालयों की थी जिसका उपयोग विद्यालय के कर्मचारी करते थे। विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा रखा था। खुले में शौच जाने से विशेषकर महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। खराब मौसम या बीमारी के समय तो महिलाओं को शौच जाने में काफी तकलीफ उठानी पड़ती थी। यद्यपि गांव में सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था थी लेकिन किसी ने भी इस अनुदान राशि को इसलिए प्राप्त नहीं किया कि इतनी कम राशि से शौचालय का निर्माण नहीं हो सकता तथा इसे प्राप्त करने के लिए लम्बी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

लुपिन फाउण्डेशन ने तय किया कि रूपवास पंचायत समिति क्षेत्र के दूरदराज के जरैला गांव को खुले में शौच जाने से मुक्त गांव बनाया जाए। इस निर्णय के बाद संस्था ने ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की और उन्हें खुले में शौच जाने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कुछ बीमारियां खुले में शौच जाने से आती हैं। यदि गांव के लोग खुले में शौच नहीं जाएं तो वे अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। ग्रामीणों को अपने आसपास प्रमुख रास्तों पर साफ–सफाई रखने का महत्व भी समझाया तथा बताया गया कि संस्था गांव के सभी 102 घरों में उच्च गुणवत्ता का टू–इन्स–पीट वाले शौचालयों का निर्माण कराएगी। प्रत्येक शौचालय पर करीब 20–20 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण के लिए राशि हैबीटेट फॉर ह्युमिनिटी ऑफ इण्डिया (एच.एफ.एच.आई.) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इनके रखरखाव की दृष्टि से प्रत्येक लाभार्थी से 2–2 हजार रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी।

ग्रामीणों की बैठक में संस्था ने सभी से वचन लिया कि वे इन शौचालयों का शत–प्रतिशत उपयोग करें तथा कोई भी ग्रामीण शौच के लिए बाहर नहीं जाएगा। बैठक में ग्रामीणों ने शौचालय के लिए पानी संग्रहण के लिए टंकी उपलब्ध कराने की मांग रखी तो संस्था ने प्रत्येक शौचालय के निकट सीमेंट की एक हजार लीटर की क्षमता वाली टंकी बनवाने का निर्णय लिया ताकि ग्रामीण शौच के लिए इस टंकी में भरे पानी का उपयोग कर सकें। सभी ग्रामीणों ने तय किया कि वे अपने घरों एवं आसपास तथा प्रमुख मार्गों की प्रतिदिन प्रातः के समय साफ–सफाई करेंगे।

बैठक में लिए गए निर्णय के एक पखवाडे बाद ही जरैला गांव में शौचालयों का निर्माण शुरू हो गया और मात्र ढाई माह

में गांव के सभी 102 घरों में शौचालयों व पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया। सभी शौचालयों को आकर्षक रंगों से पुतवाया गया है। प्रत्येक पर क्रम संख्या भी अंकित की गई। शौचालयों का निर्माण होते ही अब गांव के सभी लोग अपने घरों में नवनिर्मित शौचालयों में शौच जाने लगे हैं। साथ ही ग्रामीणों की बनी समिति सूर्योदय से पहले गांव के प्रमुख रास्तों की न केवल साफ–सफाई करती है बल्कि गंदगी फैलाने वालों को हिदायत भी देती है। यह समिति यह भी ध्यान रखती है कि गांव का कोई व्यक्ति खुले में शौच करने तो नहीं जा रहा। यदि ऐसा किसी ने किया तो समिति उस पर जुर्माना भी कर सकती है।

जरैला गांव के प्रत्येक घर में शौचालयों के निर्माण के बाद गांव के सभी लोग इतने खुश हैं कि उन्हें दूसरे गांव के लोगों को यह बताने में गर्व महसूस होता है कि उनके घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। जरैला गांव की तरह अन्य गांवों के लोग भी अपने घरों में शौचालयों का निर्माण कराकर इनका शत–प्रतिशत उपयोग करना शुरू करें तो गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों पर रोक लगेगी तथा बीमारियों के इलाज पर कम खर्चा होगा। साथ ही आयवर्द्धक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बीमारी के कारण अक्सर आयवर्द्धक गतिविधियां बंद हो जाती हैं।

इस गांव में बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति गांव की साफ–सफाई को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। गांव के सभी प्रमुख रास्ते साफ–सुथरे दिखाई देंगे और नालियां भी कीचड़ मुक्त मिलेंगी। यह सारा कार्य ग्रामीणों की एकजुटता और लुपिन फाउण्डेशन संस्था के मार्गदर्शन व सभी के सहयोग से सम्पन्न हुआ है। साफ–सफाई के कारण ग्रामीणों का स्वास्थ्य स्तर भी पहले के मुकाबले अधिक ऊंचा हो जाएगा और उनमें कम से कम बीमारियां आएंगी। बीमारियां नहीं आने के कारण इलाज पर खर्च होने वाली राशि बंद अथवा कम हो जाएगी। गांव में साफ–सफाई से स्वास्थ्य के प्रति आई जागृति से सभी 5 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण करा दिया गया है और सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव भी सुनिश्चित किया गया है।

ट्राईसाईकिल लेकर नहीं जाना पड़ता अब शौच

जरैला गांव के निःशक्त युवक जगदीश के घर में शौचालय बन जाने के कारण अब उसे ट्राईसाईकिल लेकर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। शौचालय बनने से पहले जगदीश सूर्य उदय होने से पहले प्रतिदिन ट्राईसाईकिल लेकर शौच के लिए जंगल जाता। जब कभी उसका पेट खराब होता तो उसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता। विपरीत मौसमी परिस्थितियों में तो उसकी समस्या और अधिक बढ़ जाती। जगदीश सहित गांव के ऐसे ही अन्य निःशक्त लोगों के घरों में भी शौचालय बनने के बाद उन्हें शौच जाने में हो रही परेशानियों से निजात मिली है। जगदीश के घर में शौचालय बनने से उसकी दो बहिन व वृद्ध मां को भी काफी लाभ मिला है अन्यथा उनको भी जंगल में शौच जाते समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

महिलाओं को अब नहीं करना पड़ता अंधेरे का इंतजार

जरैला गांव की युवतियों एवं महिलाओं को प्रतिदिन सायं के समय शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था लेकिन जब से घर में लुपिन फाउण्डेशन के सहयोग से शौचालयों का निर्माण हुआ है तब से उन्हें अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता और प्रातः के समय भी जल्दी शौच नहीं जाना पड़ता। महाविद्यालय में पढ़ने वाली जरैला गांव की छात्रा आरती सहित कई दर्जन छात्राओं को विशेष रूप से शौच जाने में परेशानी होती थी। उन्हें प्रातः के समय जल्दी उठकर शौच जाना पड़ता और यदि मौसम खराब हो तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आरती, कल्पना, विजयलक्ष्मी, बॉबी सहित अनेक छात्राओं ने जब महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो उन्हें प्रातः जल्दी महाविद्यालय जाना होता और खेतों अथवा जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता जिसकी वजह से उन्हें कभी–कभी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती। लेकिन आज गांव की सभी युवतियां व महिलाएं उनके घरों में शौचालय बन जाने से बहुत खुश हैं। गांव की छात्राएं व पढ़ी–लिखी युवतियां इस बात को पूरी तरह जानती हैं कि खुले में शौच जाने से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जिनके इलाज पर परिवार की आय का एक बड़ा भाग खर्च हो जाता है लेकिन जब से खुले में शौच जाने पर पाबंदी लगी है तब से गांव के युवकों के साथ युवतियां भी काफी खुश हैं।

जरैला गांव की तरह अन्य गांवों के सभी परिवारों में शौचालयों का निर्माण होने के साथ साफ–सफाई के प्रति जन–जागृति लाई जाए तो निश्चय ही अन्य गांव भी जरैला जैसे खुले में शौच जाने से मुक्त गांव बन जाएंगे जिसके लिए लुपिन जैसी स्वयंसेवी संस्था के साथ अन्य सामाजिक, धार्मिक अथवा अन्य संस्थाओं को आगे बढ़कर सहयोग करना होगा।

(लेखक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में अधिकारी रह चुके हैं।)
ई–मेल : redhakar@gmail.com

आगामी अंक

सितम्बर, 2015– बढ़ता कृषि उत्पादन

अक्टूबर, 2015 – खादी और रोजगार (विशेषांक)

प्रीमियम का विनियोजन कैसे होगा?

एलआईसी/बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम रुपये 289/–प्रति वर्ष प्रति सदस्य

बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं को व्यय की प्रतिपूर्ति रुपये 30/– प्रति वर्ष प्रति सदस्य

सहभागी बैंकों को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्तिः रुपये 11/– प्रति वर्ष प्रति सदस्य

बीमा कंपनी तथा बैंक की क्या भूमिका होगी?

(क) यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी, जो बैंक/बैंकों की सम्बद्धता से इन्हीं शर्तों पर उत्पाद प्रदान करना चाहती है, के माध्यम से प्रस्तुत/प्रकाशित की जाएगी।

(ख) खाताधारकों से देय तिथि पर या उससे पूर्व ऑटो डेबिट प्रक्रिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत प्रीमियम की एक किस्त में वसूली तथा बीमा कंपनी को देय राशि प्रेषित करने की जिम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी।

(ग) निर्धारित प्रोफॉर्मा में नामांकन फार्म/ऑटो डेबिट प्राधिकार/सहमति सहघोषणापत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किए तथा रखे जाएंगे। दावों के मामलों में एलआईसी/बीमा कंपनी इन्हें प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार एलआईसी/बीमा कम्पनी के पास सुरक्षित है।

क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी खाताधारक उक्त खाते के जरिए योजना में शामिल हो सकते है?

संयुक्त खाते के मामले में उक्त खाते के सभी खाताधारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और प्रति व्यक्ति वर्ष 330 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करें।

क्या पीएमजेजेबीवाई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तथा अन्य प्राकृतिक कंपनों के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु/अपंगता को कवर करती है? अत्महत्या/हत्या के कवरेज के संबंध में क्या है?

उपर्युक्त सभी घटनाएं पीएमजेजेबीवाई के अन्तर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के अंतर्गत शामिल हैं।

क्या पीएमजेजेबीवाई पॉलिसियां विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से आरंभ की जा रही हैं तथा इस संबंध में सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं?

कोई विदेशी कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। बीमा अधिनियम तथा आईआरडीए विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं, जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।

अन्य बीमा उत्पादों के विपरीत पीएमजेजेबीवाई के अन्तर्गत लाभ बीमित की मृत्यु पर ही बीमित के नामित को देय है। इसमें परिपक्वता लाभ या अभ्यर्पण मूल्य क्यों नहीं है, जो सामान्य जीवन बीमा पॉलिसियों में उपलब्ध है?

पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर केवल मृत्यु के लिए है अतः लाभ केवल नामिती को दिया जाएगा। पीएमजेजेबीवाई एक पूर्ण टर्म बीमा पॉलिसी है जो केवल मृत्यु को कवर करता है और इसमें कोई निवेश संघटक नहीं है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों, जिनमें परिपक्वता लाभ, अभ्यर्पण मूल्य आदि उपलब्ध है, की तुलना में तदनुसार इसका प्रीमियम कम है। इसे समाज के कमजोर वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इस लक्ष्य के साथ निवेश संघटक को समाप्त करते हुए प्रीमियम को कम रखा गया है।

क्या पीएमजेजेबीवाई योजना, जिसे आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेचा जा रहा है, के द्वारा भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम में शामिल विदेशी बीमा कंपनियों, जिन्होंने जीवन बीमा कंपनियां आरंभ की हैं और इस जीवन बीमा कवर के संबंध में कार्य कर रही हैं, को भारी लाभ हो रहा है?

बीमा अधिनियम में निर्धारित केवल भारतीय बीमा कंपनियां भारत में कारोबार कर सकती हैं। भारत में कार्यरत ऐसी सभी बीमा कंपनियों, इसमें 49 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर विदेशी भागीदार वाली कंपनियां भी शामिल हैं, के सभी पॉलिसीधारक निधियों को विनियम के अनुसार भारत में निवेश किया जाना है और इसे विदेश में निवेश नहीं किया जा सकता। पीएमजेजेबीवाई के लिए प्रभारित प्रीमियम का निर्धारिण सभी जोखिम घटकों, वर्तमान मृत्यु दर तथा प्रतिकूल चयन को ध्यान में रखते हुए बीमांकक परिकलन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार इस योजना से भारी लाभ की कोई संभावना नहीं है।

पीएमजेजेबीवाई के साथ विदेशी बीमा कंपनियां क्यों संबद्ध हैं, जबकि एलआईसी, जो सरकार की स्वामित्व वाला निगम है, सरकार द्वारा आरंभ की गई इस योजना का प्रबंधन कर सकता है?

भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, जिन्हें भारत में जीवन बीमा कारोबार करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस दिया गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को बेहतर मूल्य तथा सेवा प्रदान करने के लिए इन सभी कंपनियों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ये सभी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। उनके विदेशी भागीदार, यदि कोई हो, का इन कंपनियों में केवल 49 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंतर्गत शेयर है। तथापि एलआईसी अभी भी योजना के कार्यान्वयन में शामिल मुख्य बीमाकर्ता है।

दावों के निपटान न किए जाने के मामलों में क्या भारत में विदेशी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना संभव है?

कोई विदेशी बीमा कंपनी भारत में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है। विनियम के द्वारा यथा अनुमत कुछेक विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में हैं, जिसमें विदेशी बीमाकर्ताओं के शेयर को 49 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। परिभाषा के अनुसार ये कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियां हैं। ये सभी कंपनियां भारतीय कानून के अधीन हैं और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में कोई रुकावट नहीं है।

क्या प्रीमियम की दरें बढ़ सकती हैं या भविष्य में कंपनियां इस योजना को बंद कर सकती हैं?

बीमा अन्य उत्पाद की तरह ही है। हालांकि भविष्य में इसकी दर बढ़ सकती है पर भारत में 24 बीमा कंपनियों के कार्यरत होने से इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य के स्थिर रहने की संभावना है। यह आशा है कि पीएमजेजेबीवाई कवर के स्वरूप तथा इस मूल्य के साथ यह योजना व्यवहार्य बनी रहेगी और इस योजना के बंद होने की बहुत कम संभावना है। किसी भी मामले में यदि कोई विशेष कंपनी इस योजना को बंद करती है, तो बैंकों के पास अन्य बीमा कंपनियों के साथ संबद्ध होने के कई अन्य विकल्प हैं।

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2015–17
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54/2015–17
1 अगस्त 2015 को प्रकाशित एवं 5–6 अगस्त 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020, वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना